PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

13 वीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2024–2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

पायस दूध उत्पादक कम्पनी

मूल्य (Values)

''हम सभी पायस कम्पनी के इन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं।''

1. ईमानदारी एवं पारदर्शिता
2. टीम भावना
3. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हर स्तर पर
4. दीर्घकालीन दृष्टि
5. नवविचार (Innovation)
6. जूनून (Passion)

ध्येय (Mission)

- पायस दूध उत्पादक कम्पनी अपने सदस्यों के दूध उत्पादन की लागत को कम करते हुए, दूध उत्पादन एवं सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (Vision)

- अपने ध्येय-प्रतिबद्धता के साथ, पायस दूध संस्था विश्व की दूध व्यवसाय की अग्रणी संस्थाओं में जानी जायेगी एवं अपने समस्त सदस्यों, उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए पहली पंसद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित 13वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/ असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल
(31 जुलाई, 2025 को स्थिति)

श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया	(DIN - 09684777)	–	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 08842062)	–	निदेशक
श्रीमती सुनिता शर्मा	(DIN - 09286071)	–	निदेशक
श्रीमती चन्दा यादव	(DIN - 09684561)	–	निदेशक
श्रीमती अनिता चौधरी	(DIN - 10239475)	–	निदेशक
श्री लादू लाल	(DIN - 08856442)	–	निदेशक
श्री भागचन्द	(DIN - 09286255)	–	निदेशक
श्री विजय सिंह मीणा	(DIN - 09286327)	–	निदेशक
श्री हनुमान चौधरी	(DIN - 09684895)	–	निदेशक
श्री मुकेश कुमार गढ़वाल	(DIN - 10239469)	–	निदेशक
डॉ. सौगत मित्रा	(DIN - 00541858)	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री राजेश गुप्ता	(DIN - 09248147)	–	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. रघु हासन मल्लेगौड़ा	(DIN - 08936193)	–	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. मनवीर सिंह	(DIN - 09442343)	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

प्रमुख–वित्त एवं लेखा

श्री अमित जैन

वैधानिक अंकेक्षक

प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
गुरूग्राम, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक

एन आर एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस,
गुवाहटी

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
ऐक्सिस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.
बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल,
99, मदनगीर, नई दिल्ली–110062

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91–141–2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट	1-16
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	17-25
3. अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरण	
(अ) 31 मार्च, 2025 को आर्थिक चिट्ठा	26
(ब) 31 मार्च, 2025 के लाभ–हानि खाता	27
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	28
4. नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	29-54
5. वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	55-67
6. उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	68
7. प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	69-70

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की 14वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान कम्पनी ने कुल रू. 1246.37 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रू. 10.85 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2024—2025 में 5.93 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसतन दुग्ध का संकलन किया है। कम्पनी ''पायस'' ब्रांड के नाम से घी, गाय का घी उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही है तथा दुग्ध उत्पादों को उन्नत किस्म का चारा—बीज भी उपलब्ध करवा रही है।

कम्पनी ने नई पहल के रूप में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैः—

1. गोबर से समद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस प्लांट लगवाना
2. पायस एनिमल प्रिवेटिव केयर प्लान
3. पशुओं के लिए ऋण एवं बीमा
4. मिशन "80" के अंतर्गत "स्मार्ट डेयरी फार्मिंग सेमिनार" का आयोजन
5. डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए डीवॉर्मिंग दवाई उपलब्ध करवाना
6. बृहद स्तर पर पशुओं में थनैला रोग की जांच

पारदर्शिता की दिशा में कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप की सुविधा भी दे रही है। इस ऐप में पशुओं को टैग कर उनका पंजीकरण किया जाता है तथा सभी सदस्यों को उनके आपूर्तित दूध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाईल पर एक क्लिक पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

भारत में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने उक्त योजना के अंतर्गत चारा प्लस एफपीओ के गठन के लिए पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBO) के रूप में मेरवाड़ा फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। मेरवाड़ा एफपीसी का मुख्य उद्देश्य चारा विकास गतिविधियां है जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, तैयार खाने योग्य टीएमआर का उत्पादन, उनकी बिक्री, इनपुट (कच्चा चारा साम्रगी, मिनरल मिक्सचर, चारा अनुपूरक, चारा बीज आदि) का खरीद और आपूर्ति एवं साथ छोटे/सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,
ह./—
(डॉ. मनवीर सिंह)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते 13वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्याय XXIA) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:–

(रू. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1246.37	1462.92
कुल लागत (व्यय सहित)	1232.67	1452.44
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	13.71	10.48
कर हेतु प्रावधान	2.86	2.74
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	10.85	7.74

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रू. 1246.37 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रू. 1462.92 करोड़ की तुलना में कमी दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल लागत (व्यय सहित) रू. 1452.44 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल लागत (व्यय सहित) रू. 1232.67 करोड़ रहे है।

पिछले वर्ष के कर के पश्चात रू. 7.74 करोड की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कर के पश्चात लाभ रू. 10.85 करोड़ रहा है, जिसमे 40% की वृद्धि दर्ज की है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रू. 8/–प्रति समता अंश की दर से कुल रू. 2.75/– करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 14वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रू. 8.10/– करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

कार्य संचालन (Operations)

कम्पनी 3056 गाँवों में स्थित 3348 दुग्ध संकलन केन्द्रों से दुग्ध संकलन कर रही है। कम्पनी का वित्तीय वर्ष 2023–24 में दुग्ध संकलन 24.83 करोड़ लीटर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 21.01 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। इसमें 3.91 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

एक रणनीतिक निर्णय के रूप में, कम्पनी ने घी के अलावा दूध एवं दूध उत्पाद की बिक्री 1 अगस्त, 2024 से मदर डेयरी को हस्तांतरित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 212 लाख लीटर व 656 मैट्रिक टन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 71 लाख लीटर व 428 मैट्रिक टन रही।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

वर्ग	विभिन्न श्रेणियां
डबल टोन्ड मिल्क	200*ml*, 500*ml*, 1*L*, 6kg
टोन्ड मिल्क	200*ml*, 500*ml*, 1*L*, 6kg
फुल क्रिम मिल्क	500*ml*, 1*L*, 6kg
होमोजनाइज्ड़ टोन्ड मिल्क	200*ml*, 500*ml*, 6kg

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में मिक्स मिल्क, गाय का दूध और स्किम मिल्क का विक्रय करती है।

दही

पायस ''दही'' का 85 ग्राम और 180 ग्राम कप में, 180 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो पॉलीपैक में एवं 5 किलो और 15 किलो प्लास्टिक के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 500 ml के पैक और मसाला छाछ का 250 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

पनीर

पायस पनीर 200 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन और 1 लीटर गाय का घी (सिक्का पैक) एवं 1 लीटर गाय का प्रीमियम घी कांच की बोतल में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

कम्पनी ने दिनांक 1 अगस्त, 2024 से घी के अलावा दूध और दूध उत्पादों का विपणन मदर डेयरी को स्थानान्तरित कर दिया है।

उत्पादक संस्था विकास (**Producer Institution Building**)

किसी भी संगठन की स्थिरता के लिए के लिए मजबूत संस्थान आधार तैयार करना आवश्यक है। पायस दूध उत्पादक संस्था के लिए, संस्था विकास कम्पनी की वृद्धि और सफलता का आधार रहा है। यह स्तंभ, संरचान जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षित प्लेटफॉर्म और क्षमता विकास पहलों के माध्यम से सदस्य विकास और संशक्तिकरण सुनिश्चित करता है।

ये कार्यक्रम सदस्यों के संगठन के अंदर उनकी भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए तैयार किये गये है, जिससे पायस मूल्यों और सामूहिक भागीदारी के लाभों के बारे में सदस्यां की समझ में वृद्धि होगी। सदस्यों को डेयरी फार्मिंग, पशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन तकनीकों के सर्वोतम तरीको के बारें में शिक्षित किया जाता है जिससे उन्हें उत्पादकता और आजीविका में सुधार करने के लिए ज्ञान प्राप्त होता है।

पीआईबी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करता है। पारदर्शिता बनाये रखने और सभी हितधारकों के साथ खुला संचार बनाये रखने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों, नई इनिशटिव और सरकारी या कम्पनी संचालित योजनाओं पर नियमित अपडेट साझा किये जाते है।

पायस एमपीसी सदस्यों की भागीदार बढाने के लिए संवादात्मक सत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्यक्रम संगठनात्मक मूल्यों, दीर्घदृष्टि और ध्येय, संचालन और लाभों पर व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किये गये है। संगठन के अंदर महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी को बढ़ावा देने से लैंगिक दृष्टिकोण का समावेश सुनिश्चित होता है। उचित संचार के लिये समावेशी बनाने से सदस्यों को मान्यता प्राप्त, सम्मानित और कम्पनी की यात्रा का महत्वपूर्ण भाग को महसूस करने में सहायता मिलती है।

पायस पारदर्शिता, समावेशित और सदस्य सशक्तिकरण के आधारभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सदस्य संवाद कार्यक्रम जैसी इनिशटिव में परिलक्षित होती है, जिसमें 687 सदस्यों ने भाग लिया। इन संवादों के माध्यम से, पायस ने न केवल सदस्यों के साथ अपने संबंधों को मजूबत किया है किन्तु उन्हें संगठनात्मक विकास और स्थिरता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त भी बनाया। इस इनिशटिव का विस्तार कई परिचालन क्षेत्रों में कार्य किया गया तथा व्यापक पहुंच और प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए विभिन्न संचार उपकरणों का उपयोग किया गया।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, पायस ने यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक संरचनाओं की आवश्यकता को पहचाना है। इसलिए, पायस एमपीओ में एमपीपी स्तर पर 2556 वीसीजी और एमआरजी बनाये गये है।

इस अवधि के दौरान सभी निदेशकों के लिए अभिविन्यास एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (Orientation cum refresher traning Programme) आयोजित किया गया। बोर्ड ने पंजाब में प्रगतिशील डेयरी किसान संघ (PDFA) के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुये, जहां पर अधिक दूध देने पशु देखे गये। इस एक्सपोजर विजिट ने पायस में ''मिशन 80'' इनिशटिव की नीवं रखी है।

उत्पादकता संवर्धन सेवायें (**Productivity Enhancement Services**)

अ. वैज्ञानिक रूप से संतुलित आहार उपलब्ध कराना

मिश्रित पशु आहार

वर्ष 2024–2025 के दौरान, कम्पनी ने अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार मुद्रिका साधारण (BIS Type-II) एवं मुद्रिका गोल्ड है, का 39341 मैट्रिक टन का विक्रय किया।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर (***Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer***)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास किया है और इसे कम्पनी अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 64 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (**Fodder Development**)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन, तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है। कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त चारा बीज जिसमे रिजका, जई, ज्वार और बाजरा के बीजों आदि का वितरण कर रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 606 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने डेयरी पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर 771 क्विंटल साइलेज वितरित किया।

ब. पशु ब्रीडिंग

उच्च बोवाइन आनुवंशिकी का प्रचार

दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दूध उत्पादन की लागत को कम करने और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि में करने के लिए पायस संस्था ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम चला रही है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता देने के लिए, संचालन क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित योग्य मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) तैयार किये जाते है। कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 400 MAIT के माध्यम से लगभग 3,81,346 कृत्रिम गर्भाधान किये है।

उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए और 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता के साथ बछिया पैदा करने एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, पायस ने कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमेन को प्रारम्भ किया है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करके 1935 कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्व पूर्ण किये है।

स. सलाहकार एवं विस्तार सेवाएं और क्षमता विकास

सलाहकार एवं विस्तार सेवाओं का उद्देश्य वैज्ञानिक आहार पद्धतियों और अच्छी डेयरी फार्मिंग पद्धतिओं को अपनाकर पशुओं के उत्पादन और प्रजनन में सुधार लाना है साथ ही दूध उत्पादकों को उनके घर पर ही तकनीकी जानकारी और सेवाएं प्रदान करना है जिससे दूध उत्पादन क्षमता और डेयरी से आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। सलाहकार एवं विस्तार सेवाओं ने पारंपरिक डेयरी फार्मिंग पद्धतिओं के परिवर्तन में योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने उत्पादक सदस्यों को अच्छी डेयरी फार्मिंग पद्धतिओं का प्रशिक्षण दिया गया है।

द. नई पहल

1. गोबर से समृद्धि कार्यक्रम

गोबर से समृद्धि कार्यक्रम स्वच्छ रसोई ईंधन और जैविक खाद के उत्पादन के लिए पशुओं के गोबर के वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देता है। इस पहल के तहत, पायस, एनडीडीबी मृदा, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मोबियस फाउंडेशन और सिस्टेमा.बायो के सहयोग से, स्थायी ग्रामीण ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। 31 मार्च 2025 तक, 268 किसानों ने अपने घरों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है। इनमें से 200 बायोगैस इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। किसानों को इस पर्यावरण–अनुकूल समाधान को अपनाने में मदद करने के लिए, मोबियस फाउंडेशन ने शुरुआती निवेश के बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान की है।बायोगैस संयंत्र के उपयोग से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है।

2. पायस एनिमल प्रिवेटिव केयर (PAPC) योजना

पायस ने बायोटिक वेट सॉल्यूशंस के सहयोग से सीकर मिल्क चिलिंग सेन्टर (MCC) क्षेत्र मे ंपशु एनिमल प्रिवेटिव केयर योजना प्रारम्भ की है। यह इनिशटिव पशुओं की पहचान, रोग पहचाने योग्य सेवाये, ग्रामीण पहुंच और रोग रोकथाम पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य पशु उत्पादकता, दूध की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना है। यह कार्यक्रम सदस्यता आधारित सेवा के रूप में डिजाइन किया गया है जो पशुओं के लिए नियमित पशु चिकित्सा सहायता और निवारक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। 31 मार्च, 2025 तक, कुल 85 सदस्यों ने इस योजना की सदस्यता ली है।

3. पशुओं के लिये ऋण और बीमा की सुविधा

पायस ने डिजीवृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेजट लिमिटेड की सहायता से 7 मिल्क चिलिंग सेन्टर (MCC) क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रारम्भ की है। इन सेवाओं में डिजिटल बोवाइन पशुओं के लिये ऋण, डेयरी रखरखाव ऋण और डिजिटल बोवाइन पशु बीमा सम्मिलित है। इस इनिशटिव का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के माध्यम से डेयरी किसानों के लिए वित्तीय समावेशन, ऋण और जोखिम कवरेज को बढ़ाना है।

अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सदस्यों को ऋण सुविधा का लाभ मिला है और उनके खातों में लगभग रू 12 लाख की कुल राशि सीधे वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत डिजिटल पशु बीमा पॉलिसी भी प्राप्त की गई है।

4. मिशन "80" के अंतर्गत "स्मार्ट डेयरी फार्मिंग सेमिनार" का आयोजन

मिशन 80 एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रगतिशील किसान, विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी प्रदाता मिलकर उन्नत पद्धतियों और समाधानों के माध्यम से मवेशियों में दूध उत्पादन को 80 लीटर प्रतिदिन और भैंसों में 35 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन प्रगतिशील डेयरी किसानों के लिए हर महीने एक स्मार्ट डेयरी फार्मिंग सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार साझा किए जा रहे हैं।

ऐसे 4 सेमिनारों में लगभग 400 प्रगतिशील डेयरी किसानों ने भाग लिया है और लगभग 20 प्रदर्शकों ने अपनी तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन भी किया है।

5. डीवॉर्मिंग

डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य, विकास और दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए डीवॉर्मिंग आवश्यक है, क्योंकि यह पोषक तत्वों के अवशोषण और समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले आंतरिक परजीवियों को हटाता है। एक पहल के रूप में, लगभग 30,220 पशुओं का वेटफेन–बी का उपयोग करके डीवॉर्मिंग उपचार किया गया। इस हस्तक्षेप ने पशु स्वास्थ्य में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है – जिससे अंततः डेयरी किसानों के लिए बेहतर आजीविका के परिणाम सामने आए हैं।

6. पायस मित्र ऐप में पशु पंजीकरण

पायस मित्र ऐप के माध्यम से पशु पंजीकरण में टैग किये गये पशुओं का विवरण, जैसे उनका टैग नंबर, नस्ल और संबंधित स्वामी की जानकारी सम्मिलित है। अब तक, इस प्रक्रिया में लगभग 10,947 सदस्यों और 41,066 पशुओं को सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया है।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, आटोक्लेव, आर.एम. जाँच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्ट्रफ्यूज मशीन, सोडियम जांच मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है।

वर्तमान परीक्षण सुविधाओं के अलावा, सभी एमसीसी में एक स्वचालित एमबीआरटी परीक्षण सुविधा शुरू की गई है जिससे मानवीय त्रृटि, बार–बार मैन्युअल पर्यवेक्षण और मैन्युअल डेटा रिकॉर्डिंग की समस्या समाप्त हो जायेगी। इससे सभी एमसीसी के अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान से डेटा तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।

गाय और भैस के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रो पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक थोक खरीदारों को अलग–अलग कच्चे गाय और भैंस के दूध की आपूर्ति की जा सके।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल अपग्रेड और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु जैसे सफाई एवं स्वच्छता, उत्तम मैन्यूफैक्चरिंग पद्धति, ग्रेडिंग एवं परीक्षण, मशीन एवं उपकरण की जांच, ISO-22000, 5–एस, काइज़न जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

सम्पूर्ण संचालन तकनीक पर आधारित है। SAP S/4 HANA ERP (उद्योग संसाधन योजना) सम्पूर्ण व्यवसाय में प्रारम्भ से अंत तक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

इसके साथ ही, कम्पनी ने निम्नलिखित तकनीकी आधारित सहभागिता (Interventions) की।

- क्लोज सर्किट टेलीविजन वीडियो (CCTV) निगरानी प्रणाली – इससे कार्यस्थल सुरक्षा, लागत प्रभावी सुरक्षा में सुधार किया और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाया है।
- पायस सदस्य पंजीकरण मोबाईल ऐप – यह ऐप किसानों को पायस एमपीओ से जुड़ने में सक्षम बनाता है जो पंजीकरण से लेकर सदस्य बनते तक कागज रहित और निर्बाध (Seamless) प्रक्रिया प्रदान करता है।

- पायस सदस्य मित्र मोबाईल ऐप – यह ऐप सदस्यों के लिए किसी भी समय अपने संरक्षता आंकडों तक पहुंचने के लिए पादर्शिता और पासबुक सुविधा को सक्षम बनाता है।
- SAP ERP के माध्मय से ऑनलाइन और स्वचालित भुगतान प्रक्रिया, समय पर और तेज तथा सुरक्षित किसान भुगतान प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।
- सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (GPRS) – यह वास्तविक समय में एम.पी.पी. से सेन्टर सर्वर में दूध डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए कॉल सेंटर – एक व्यवस्थित तरीके से एम.पी.पी. स्तर पर उपकरण की खराबी के निवारण के लिए फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के सहयोग के लिए एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई।
- सदस्यों/सहायकों को तुरन्त SMS/मोबाईल अधिसूचना।
- सदस्यों की शिकायतें/आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर।

मेरवाड़ा फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (फोडर प्लस एफपीओ) को CBBO के रूप में सहायता

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) ने पूरे भारत में 10,000 किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रारम्भ की थी, जिसका क्रियान्वयन विभिन्न हितधारकों जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBOs) का राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने उक्त योजना के अंतर्गत चारा प्लस एफपीओ के गठन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBO) के रूप में पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को नियुक्त किया और तदनुसार मेरवाड़ा फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड को दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को राजस्थान राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2023 के अध्याय XXI A के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में सम्मिलित किया गया।

मेरवाड़ा एफपीसी का मुख्य उद्देश्य चारा विकास गतिविधियां है जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, तैयार खाने योग्य टीएमआर का उत्पादन, उनकी बिक्री, इनपुट (कच्चा चारा साम्रगी, मिनरल मिक्सचर, चारा अनुपूरक, चारा बीज आदि) का खरीद और आपूर्ति एवं साथ छोटे/सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके।

समीक्षा अवधि के दौरान, मेरवाड़ा एफपीसी ने लगभग रू. 37 लाख का कुल व्यापार किया है और 315 उत्पादक सदस्यों को कम्पनी में जोड़ा गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन **(Change in nature of Business)**

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही हुआ है। समीक्षा अवधि में घी के अलावा पॉली पैक दूध और दूध उत्पादों का विपणन मदर डेयरी को स्थानान्तरित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं
(Material Changes and Commitments after closure of Financial Year)

कम्पनी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नही है, जोकि वित्तीय वर्ष के समापन पर, जिससे कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते है।

अंश पूंजी संरचना/सदस्यता

कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नही किया है, दिनांक 31 मार्च, 2025 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 50 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के प्रारम्भ में कम्पनी की अभिदत्त और प्रदत्त अंश पूंजी रु 38,22,27,900/– है, जिसमें 3822279 अंश सम्मिलित है। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सदस्यों के 898143 समता अंशों को निरस्त किये है और सदस्यों को 509785 समता अंश पुनः जारी किये गये है।

31 मार्च, 2025 तक, कम्पनी की कुल प्रदत्त अंश पूंजी रू. 34,33,92,100/– है, जिसमें 3433921 निरस्त किये गये अंशों को छोड़कर 861404 अंश सम्मिलित है, जिनका कुल मूल्य रू. 8,61,40,400/– है, जिन्हें पुनः जारी किये जायेगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नही की है जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियां को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 76837 सदस्य दर्शाये गये हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान 26474 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2025 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 3490 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 865 सदस्यों की सदस्यता निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 79462 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें, जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–2025 में दर्शाये गये 79462 सदस्यों में से 24949 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 7116 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होनें अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को पूरा नही किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नही कर सकते है। इसके अतिरिक्त 43907 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तों को पूरा नही किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नही है। शेष, 865 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2025 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नही है।

3490 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2025 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लाभांश एवं 14वीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (Transfer to Investor Education and Protection Fund)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार, IEPF प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षक, हस्तांतरित और धनवापसी) नियम, 2006 ("IEPF नियम") के साथ पढें जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए रू. 6,58,848/– की राशि का सीमित लाभांश जो अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तांतरण की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रहा है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया है।

आगे, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए निरस्त अंश राशि/अतिरिक्त अंश आवेदन राशि जो सदस्यता मापदंड़ को पूरा नहीं करती है, की राशि रू. 22,29,289/– जो रिफंड करने के लिए देय है लेकिन रिफंड के लिए देय राशि की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रही है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में राशि हस्तांतरित कर दिया है।

कम्पनी के पास कोई अंतर्निहित अंश (Underlying Shares) नही है जिसे उपरोक्त उल्लेखित के अनुसार (IEPF) में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर https://www.paayasmilk.com/unclaimed-amount. उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख सकते है और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते है।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, सात बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
71st	14.05.2024	14	12
72nd	05.07.2024	15	15
73rd	09.08.2024	15	14
74th	07.10.2024	15	15
75th	07.12.2024	15	13
76th	06.02.2025	15	15
77th	20.03.2025	15	15

हितधारकों से संबंधित समिति (Stakeholders' Relationship Committee)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्कता के अनुसार, कम्पनी के अंशधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंधित समिति का गठन किया गया था। हितधारक संबंधित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:

a) श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा
b) श्री नारायण लाल गुर्जर, सदस्य
c) डॉ मनवीर सिंह, सदस्य

समिति की दो बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

हितधारक संबंध समिति की संख्या	समिति की बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
6th	09.08.2024	3	3
7th	20.03.2025	3	3

ऑडिट कमेटी (Audit Committee)

अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए बोर्ड द्वारा ऑडिट कमेटी का गठन किया गया था। ऑडिट कमेटी में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित है:

1. डॉ. सौगत मित्रा, अध्यक्ष
2. डॉ. रघु हासन मल्लेगौड़ा, सदस्य
3. श्री राजेश गुप्ता, सदस्य
4. श्री नारायण लाल गुर्जर, सदस्य
5. श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया, सदस्य

कमेटी की एक बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऑडिट कमेटी की संख्या	समिति की बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1st	04.03.2025	5	5

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति

(**Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties**)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नही होते है।

निदेशक (Directors)

श्रीमती सुनिता शर्मा, श्रीमती ममता चौधरी और श्री भागचन्द को 23.09.2024 से कम्पनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

डॉ. सौगत मित्रा को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 18 अगस्त, 2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है।

श्री नारायण लाल गुर्जर, ने कम्पनी के निदेशक पद से दिनांक 14 जुलाई, 2025 को त्याग पत्र दे दिया है।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गो ं में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये है ं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम–सभा में अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सदस्यों द्वारा संरक्षता के मापदण्ड पूरे करने के आंकडों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी का संरक्षता योगदान क्रमशः 38:, 34: और 28: थे। तद्नुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो ं को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी–ए में 4 निदेशक, श्रेणी–बी में 4 निदेशक तथा श्रेणी–सी में 3 निदेशक होती है ं। कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :–

श्रेणी–ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर, कम्पनी के निदेशक, जिन्होंने 14 जुलाई, 2025 को त्याग पत्र दे दिया है। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री नारायण लाल गुर्जर के स्थान पर श्रीमती सुनिता कुमावत जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करती है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 14वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

श्रेणी–बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री विजय सिंह मीणा, कम्पनी के निदेशक, ''श्रेणी–बी'' के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री विजय सिंह मीणा के स्थान पर श्रीमती रिंकू शर्मा जो ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करती है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति /पुनः नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 14वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक है।

श्रेणी–सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री हनुमान चौधरी, कम्पनी के निदेशक, ''श्रेणी–सी'' के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताएँ पूरी करते हुये पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते है। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनःनियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति /पुनः नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 14वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक है।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है किः–

a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।
b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
e) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और संरचना या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी नही पाई गई। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF की अनुपालना में मैसर्स एन आर एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक पुनःनियुक्त किया गया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा एवं कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करेंगे।

साविधि जमा (**Fixed Deposits**)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान कोई जमायें स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (**Particulars of Loans, Guarantees given and Investments**)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नही दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण
(**Particulars of Contracts, Arrangements with related parties**)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन अधिनियम के संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस Arm's Length Basisi) और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नही किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नही किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी(लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3) (h) के साथ पढे जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC–2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (**Corporate Social Responsibility**)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनीज (CSR) संसोधन नियम 2021 के साथ पढें जाने के अनुसार, कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लिया है और सीएसआर नीति को अपनाया है, जो कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/csr-policy पर उपलब्ध है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने एनडीडीबी की इनिशटिव, एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (NFN) को सीएसआर दायित्वों के लिए रू. 8.91 लाख का योगदान दिया है। यह योगदान "गिफ्टमिल्क" परियोजना का सहयोग करता है, जिसका उद्देश्य दूध और अन्य पौष्टिक उत्पादों के वितरण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता की जा सके।

कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–1 में प्रदान की गई है।

जोखिम प्रबंधन (**Risk Management**)

कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की पहचान कर समीक्षा की और समय–समय पर ऐसे जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति की निगरानी करती है। कम्पनी ने सभी मुख्य परिचालन के लिए मानक संचालन कार्यों की समीक्षा की और इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

कम्पनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर जोखिम प्रबंधन (Risk Management) नीति कार्यान्वित की है।

सचेतक तंत्र (**Vigil Mechanism**)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत कम्पनी ने सचेतक तंत्र के लिए नीति अपनाई है, जिसमें कोई भी मुद्दा जो कम्पनी की संहिता के उल्लंघन या उसके विरूद्ध हो, को प्रबंधन जी जानकारी में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों को Whistle Blowing के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सचेतक तंत्र (Whistle Blower Policy) कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/vigil-mech-policy पर उपलब्ध है।

अंकेक्षक (**Auditors**)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (e) के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी (ICAI फर्म पंजीकरण संख्या 012754N / N500016) वैधानिक अंकेक्षकों आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताओं को पूरा करते हुये स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है। कम्पनी को अंकेक्षक से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है अगर उनकी पुनःनियुक्ति की जाती है, तो वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

कम्पनी को अंकेक्षकों से इस पर पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में होगी और वे पुनःनियुक्ति के लिए अयोग्य नही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख **(Cost Record)** लागत अभिलेख **(Cost Record)**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नही होती है।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक **(Secretarial Standards of ICSI)**

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालना के लिए कम्पनी में एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

सचिवीय अंकेक्षण **(Secretarial Audit)**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कम्पनी पर सचिवीय अंकेक्षण लागू नहीं है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा **(Boards' comment on the Auditors' Report)**

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व–व्याख्यात्मक है और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नही है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नही है।

वार्षिक रिटर्न **(Annual Return)**

दिनांक 31 मार्च, 2025 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/annual-returns पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, प्राप्त और निपटाये गये शिकायतों का सारांश निम्नलिखित हैः

वर्ष में प्राप्त लैंगिग उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	Nil
वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या	Nil
वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, पूर्व में दिये गये विवरण में कम्पनी ने वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है	Nil

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कम्पनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण **(Particulars of Employees)**

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, कम्पनी के एक कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त किया है। इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पढे कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के संशोधित नियम 5 (2) के अनुसार कर्मचारी का विवरण अनुलग्नक–2 में दिया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी
(**Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo**)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढे जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

(I) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

a) कोई भी कम्पनी ना तो पायस कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।

b) विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नही हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।

c) कम्पनी के विरूद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

d) एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

कृते निदेशक मंडल
ह./–
(जगदीश प्रसाद इनाणीया)
अध्यक्ष
डी.आई.एन.–09684777

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के समक्ष पढ़े जाने अनुसार

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप–रेखा:

कम्पनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढें जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है:

a) स्वास्थ्य

b) शिक्षा

c) स्वच्छता सुविधाएं

d) पर्यावरण स्थिरता

e) जाति समानता को बढ़ावा देना

f) व्यावसायिक कौशल में सुधार

g) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना

h) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय

i) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान

j) इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान

k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में व्यस्त रखना

2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नही है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यो का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है।				

3. वह वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

https://www.paayasmilk.com/csr-policy

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक के साथ सारांश प्रदान प्रदान करें, यदि लागू हो–लागू नही है

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभः रू. 4,45,40,131/–

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः रू. 8,90,803/–

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष– Nil

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाले राशि, यदि कोई हो– Nil

(ण) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (ख+ग-घ) : रू. 8,90,803/–

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजनाओं एवं जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त जिसमें दोनों सम्मिलित हैं)पर व्ययित राशि : रू. 8,90,803/–

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रू. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति– सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
Nil												

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति– सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	एनएफएन द्वारा आयोजित गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के अंतर्गत फोर्टिफाइड दूध का वितरण	अनुसूची VII(I) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सम्मिलित है।	हाँ	राजस्थान	राजस्थान के जयपुर या अजमेर जिले	रू. 8,90,803/-	नही	एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (NFN)	CSR00004168
	योग					रू. 8,90,803/-			

(ख) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि: Nil

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नही

(घ) वित्तीय वर्ष (क+ख+ग) के लिए खर्च की गई कुल राशि: रू. 8,90,803/-

(ण) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रू. 8,90,803/-	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(च) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	रू. 8,90,803/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रू. 8,90,803/-
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	Nil

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रू. में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रू. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रू. में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षो में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रू. में)	कमी यदि कोई हो
					राशि (रू. लाख में)	अंतरण की तारीख		
लागू नहीं								

8. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। : लागू नही है

यदि हां, तो निमित/अधिग्रहति पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नही है

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	सम्पत्ति या सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण (सम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	सम्पत्ति या सम्पत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/ प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
लागू नहीं							

9. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो – लागू नही है

	ह./–	ह./–
	जगदीश प्रसाद इनाणीया	डॉ मनवीर सिंह
स्थानः जयपुर	अध्यक्ष और निदेशक	निदेशक और मुख्य कार्यकारी
दिनांक : 14 जुलाई, 2025	डी.आई.एन. : 09684777	डी.आई.एन. : 09442343

अनुलग्नक–II

श्री रतन कुमार सिंह (DIN-00142430) के लिए कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अंतर्गत विवरण

क्रं सं.	विवरण	सूचना
1.	कर्मचारी का पद	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी*
2.	पारिश्रमिक	रू. 865522 प्रति माह
3.	व्यवसाय की प्रकृति, चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा	स्थायी
4.	कर्मचारी की योग्यता एवं अनुभव	ईरमा से पीजीडीआरएम, बी.एससी. (डेयरी टेक्नोलोजी)
5.	नियुक्ति की दिनांक	01.06.2015
6.	कर्मचारी की आयु	62 वर्ष
7.	कम्पनी में नियुक्ति से पूर्व कर्मचारी द्वारा किया गया अंतिम व्यवसाय	मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड
8.	उप–नियम (2) के खंड (iii) के परिभाषित के अंदर कम्पनी में कर्मचारी द्वारा धारित समता अंशो का प्रतिशत	NIL
9.	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम	No

*श्री रतन कुमार सिंह ने 5 जुलाई, 2024 से निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी के पद से त्याग पत्र दे दिया है।

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

1. हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

2. हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है एवं 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते है।

राय (Opinion) के लिए आधार

3. हमने ऑडिटअधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (SAs) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

अन्य जानकारी

4. कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट में जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है। हमारी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नही है।

प्रबन्धन का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन का प्रभार संभालने वालों की जिम्मेदारियां

5. कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जो आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धान्तों जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल है के कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

6. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक निदेशक मंडल कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों। निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

8. SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत्, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

9. हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

10. हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते है जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधो का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाया भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं परप्रतिवेदन (रिपोर्ट)

11. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा(11) के तहत भारत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर लागू सीमा तक विवरण "अनुलग्नक ब" में दिया है।

12. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :–

(अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ब) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैरा 12 (व)(vi) में वर्णित विषयों को छोड़कर, हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

(स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।

(य) 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2025 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

(र) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैरा 12(ब) और नीचे 12(व)(vi) में हमारी टिप्पणियों को संदर्भ दिया गया है।

(ल) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक अ" को देखें।

(व) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसारः–

i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो – वित्तीय विवरणों के नोट 30 को देखें।

ii. कम्पनी का लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 तक किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीर्घकालीन अनुबंधों पर उसके पास कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ नहीं है। 31 मार्च, 2025 तक कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध (Derivative Contracts) नहीं था।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई विलम्ब नही किया गया है।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि जैसाकि वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix) में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या में (ऋण ली गई निधि से या अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) कोई राशि अग्रिम या ऋण या निवेश नही किया गया है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गांरटी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी।

(ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix) में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नही हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कम्पनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गांरटी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी।

(स) अंकेक्षण की प्रदर्शन की गई प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे सूचना में ऐसा कुछ भी नही आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण उपरोक्त कथन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. गत वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कम्पनी अधिनियम की धारा 123 के अनुपालना में है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।
जैसाकि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 में वर्णित है, कम्पनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालना में है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच, कम्पनी ने अपने बही खातों को बनाये रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) विशेषता रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेनदेन के लिए सम्पूर्ण वर्ष संचालित होता है, के अलावा 2 अक्टूबर, 2024 तक सॉफ्टवेयर में दर्ज कुछ डेटा के लिए विशिष्ट पहुंच वाले कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधन के विषय में और डेटाबेस स्तर पर सीधे निष्पादित कुछ कार्यो के लिए अनुप्रयोग स्तर पर ऑडिट लॉग को बनाये नहीं रखा जाता है जो 3 अक्टूबर, 2024 से लागू था। हमारी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, ऑडिट ट्रेल को बनाये न रखने के उपरोक्त उदाहरणों के अलावा, जहां ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता, हमने ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किये जाने का कोई उदाहरण नहीं देखा।

13. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़े जाने वाली धारा 197 के प्रावधान केवल सार्वजनिक कम्पनियों पर लागू होते है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

14. अधिनियम की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, इस धारा में वर्णित मुद्दों पर हमने विवरण "अनुलग्नक स" में दिया है।

वास्ते प्राइस वॅाटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

राजीव गोयल पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549
(UDIN: 25094549BPIDGJ8808)

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–"अ"

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 12(**g**) में निर्दिष्ट)

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2025 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

2. कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान ("ICAI") द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख ("दिशानिर्देश लेख") में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अपनी राय प्रकट करना है। हमने अपना अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्दिष्ट दिशानिर्देश एवं अंकेक्षण के मानक जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू होते है और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये के अनुसार किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।
4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी अंकेक्षकों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।
5. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

6. एक कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिंम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के मूल्यांकन के पूर्वानुमानों इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

8. हमारी राय में, कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति है तथा इस प्रकार के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2025 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
राजीव गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549
(UDIN: 25094549BPIDGJ8808)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–"ब"

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में निर्दिष्ट

हमें प्राप्त जानकारी तथा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान जांची गई खाता बही और रिकॉर्ड के आधार, तथा हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि:

(i) अ. (a). कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

(b).कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई है। हमारी राय में, सत्यापन का पैमाना उचित है।

स. कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 12 को देखें)। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

द. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत मॉडल चुना है। इसलिए, इस पर हमारी टिप्पणी कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है या परिवर्तन की मात्रा को निर्दिष्ट करने पर, यदि संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के शुद्ध वहन मूल्य के कुल 10 प्रतिशत या इससे अधिक है, का सवाल नहीं होता है।

य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इनके अधीन बने नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या लंबित नही है और इसलिए इस पर हमारी टिप्पणी का कोई सवाल नहीं है कि क्या कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित प्रकटीकरण किया है।

(ii) अ. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेन्ट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और हमारी राय सूचनाओं में ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। लेखा पुस्तकों के साथ तुलना में इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन में प्रत्येक श्रेणी के स्टॉक की सूची के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक की इन्वेन्ट्री में विसंगतियां नहीं पाई गई है और उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से संबोधित गया है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर रू. 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत की गई है। स्वीकृति की शर्तो में ऐसे बैंको के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दर्ज करने की शर्त नहीं है और तदनुसार, इस पर हमारी टिप्पणी करने का कोई प्रश्न नहीं है कि क्या ये रिटर्न या विवरण कम्पनी के अनऑडिटेड खाता पुस्तिका के समान है।

(iii) कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किया है, सुरक्षित/असुरक्षित ऋण/ऋण के रूप में अग्रिम राशि नहीं दी है या स्थायी गारंटी नहीं दी है या किसी अन्य पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iii), (iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(iv) कम्पनी ने धारा 185 और 186 के तहत् आने वाली किसी भी पक्ष को कोई ऋण, निवेश एवं गांरटी या प्रतिभूति प्रदान नही की है इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नही होती है।

(v) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट, किसी भी प्रकार के जमा या ऐसी राशि जिसे जमा माना जाता है को स्वीकार नहीं किया गया।

(vi) अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(vi) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(vii) अ. हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कम्पनी माल एवं सेवाकर, भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक देय जैसा लागू हो, उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष जमा किया गया है।

ब. उपधारा (अ) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक देय बकाया नही है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

(viii) लेखा पुस्तकों में पूर्व अप्रत्यक्ष ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटीकरण किया गया हो।

(ix) अ. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ब. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

स. कम्पनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

द. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसार और कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते है कि कम्पनी द्वारा अल्प समयावधि के आधार पर एकत्र की गई निधियों का उपयोग दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए नही किया गया है।

य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(e) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

र. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(f) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(x) अ कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नही की है इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (a) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

ब. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या पूर्ण, आंशिक और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों को कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेन्ट नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (x)(b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xi) अ. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी के साथ धोखेबाजी की जानकारी नहीं है, न ही नोटिस किया गया है या रिपोर्ट किया गया है, न ही हमे प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।

ब. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष दर्ज करने की आवश्यकता नही है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xi) (b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

स. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई सचेतक की शिकायते प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xi) (c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नही है और निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xiii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों की अनुपालना में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन किया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत लेखांकन मानक 18 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' के तहत् आवश्यक वित्तीय विवरणों में से ऐसे संबंधित पक्षकारों के लेनदेन का विवरण का प्रकटीकरण किया गया है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 के तहत एक ऑडिट समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इस सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 (xiii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xiv) अ. हमारी राय में, कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षक प्रणाली है।

ब. अंकेक्षण अवधि के लिए आंतरिक लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी संव्यवहार नही किये हैं। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) के तहत् अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों अनुपालन पर रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(xvi) अ. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् पंजीकृत होना अपेक्षित नही है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (a) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

स. कम्पनी एक कोर निवेश कंपनी (CIC) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

द. हमारी राय में, समूह (जोकि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) के पास कोई CICs नहीं है, जोकि समूह का हिस्सा है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (d) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xvii) कम्पनी को वित्तीय वर्ष में या तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xix) वितीय अनुपात के आधार पर, एजिंग और वितीय आस्तियों की प्राप्ति और वितीय देनदारियों के भुगतान की संभावित तारीख के आधार पर, वितीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य सूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारें में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर पूर्वानुमान, हमारे ध्यान में कुछ भी नही आया है, जो हमें विश्वास देते है कि लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख को कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, जो कम्पनी को तुलन पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देयताओं को पूरा करने में सक्षम है, जैसे ही और जब कभी वे तुलनपत्र तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते है। हालांकि, हम व्यक्त करते है कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारें में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे व्यक्त करते है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते है औ ना ही कोई आश्वासन देते है कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब भी देय होगी, कम्पनी द्वारा उन्हें निर्वहन कर दी जायेगी।

(xx) आर्थिक चिट्ठे की दिनांक को कम्पनी के पास अधिनियम की धारा 135 (5) के तहत कोई राशि अव्ययित नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xx) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xxi) आदेश के अनुच्छेद 3 (xxi) के तहत् रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त अनुच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
राजीव गोयल
पार्टनर

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

सदस्यता संख्या 094549
(UDIN: 25094549BPIDGJ8808)

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–"स"

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट)

अ. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड एवं कोई निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

स. 31 मार्च, 2025 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

द. अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधान के संबंध में, कम्पनी ने वर्ष के दौरान सदस्यों को लाभ, अंशों का हस्तान्तरण और परिधारक अधिकारों, सामान्य एवं अन्य संचय के संबंध में लेनदेन नहीं किया है। हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उपरोक्त के संबंध में कम्पनी द्वारा किये गये लेनदेन अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधानों के विरूद्ध हो, ऐसा कोई लेनदेन नहीं पाया है।

य. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

र. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

व. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अन्य विषय नहीं है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
राजीव गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549
(UDIN: 25094549BPIDGJ8808)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को आर्थिक चिट्ठा
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
समता एवं दायित्व			
अंशधारकों का कोष			
अंश पूंजी	3	3,433.92	3,822.28
संचित एवं अधिशेष	4	8,947.27	8,447.06
		12,381.19	**12,269.34**
आंवटन हेतू लंबित अंश आवेदन राशि	5	54.47	146.88
स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	6	**136.58**	**239.37**
गैर–चालू दायित्व			
अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	1,026.83	1,318.61
		1,026.83	1,318.61
चालू दायित्व			
अल्पकालीन ऋण	8	–	6,977.27
व्यापारिक देनदारियां	9		
-सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		244.03	292.86
-सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		4,814.26	5,468.64
अन्य चालू दायित्व	10	360.22	391.94
अल्पकालीन प्रावधान	11	118.88	19.29
		5,537.39	**13,150.00**
योग		19,138.46	**27,124.20**
संपत्तियाँ			
गैर चालू संपत्तियाँ			
संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ			
- संपत्ति, प्लांट और उपकरण	12	614.13	818.57
- अमूर्त संपत्तियाँ	12	0.13	–
- प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	12	2.42	2.42
- अमूर्त संपत्तियाँ के अंतर्गत विकास	12	205.74	–
स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	13	65.05	64.40
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	250.94	237.21
अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	15	603.97	2,154.97
		1,742.38	**3,277.57**
चालू संपत्तियाँ			
स्टॉक	16	813.18	1,421.42
व्यापारिक लेनदारियाँ	17	4,085.76	11,683.00
रोकड़ एवं बैंक शेष	8	11,694.78	10,223.56
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	19	337.03	136.91
अन्य चालू संपत्तियाँ	20	463.33	381.74
		17,394.08	23,846.83
योग		19,136.46	27,124.20

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट आर्थिक चिट्ठा है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
जगदीश प्रसाद इनाणीया
निदेशक
डी.आई.एन.–09684777

ह./–
सुनिता शर्मा
निदेशक
डी.आई.एन.–09286071

ह./–
डॉ. मनवीर सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–09442343

ह./–
राजीव गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. FCS 5302

ह./–
अमित जैन
वरिष्ठ प्रबंधक– वित्त एवं लेखा

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीलिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
व्यवसाय से आय	21	123,547.06	145,422.01
अन्य आय	22	1,090.66	870.59
कुल आय		**124,637.72**	**146,292.60**
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	23	114,867.50	135,602.85
स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन	24	608.24	(225.03)
कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	25	1,515.56	1,434.57
वित्त लागत	26	77.65	453.18
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	27	222.99	229.70
अन्य व्यय	28	5,975.05	7,749.33
कुल व्यय		**123,266.99**	**145,244.60**
कर पूर्व लाभ		**1,370.73**	**1,048.00**
कर व्यय			
चालू कर		360.00	285.00
स्थगित कर (Deferred Tax)		(0.65)	(10.98)
पूर्व वर्षो से संबंधित कर		73.50	–
		285.85	**274.02**
वर्ष के लिए लाभ		**1,084.88**	**(773.98)**
प्रति समता अंश आय/(हानि) :	29		
[(अंकित मूल्य प्रति शेयरः रू.100/–)			
(31 मार्च, 2024-रू.100/–)]			
मूल		29.18	20.79
डायल्यूटेड		29.18	20.79

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ – हानि का विवरण है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–	ह./–	ह./–
जगदीश प्रसाद इनाणीया	सुनिता शर्मा	डॉ. मनवीर सिंह
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–09684777	डी.आई.एन.–09286071	डी.आई.एन.–09442343

ह./–
राजीव गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549
स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. FCS 5302
स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

ह./–
अमित जैन
वरिष्ठ प्रबंधक– वित्त एवं लेखा

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
अ.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः			
	कर से पूर्व लाभ		1,370.73	1,048.00
	समायोजन के लिये :			
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	27	222.99	229.70
	ब्याज से आय	22	(915.59)	(763.00)
	वित्त लागत	26	76.73	450.34
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ		(75.69)	(31.87)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ		679.17	933.17
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(25.26)	1.86
	अन्य गैर चालू संपत्तियाँ (वृद्धि)/कमी		(0.62)	1.71
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(200.12)	51.17
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		608.24	(225.03)
	व्यापारिक लेनदारियाँ में (वृद्धि)/कमी		7,597.24	359.84
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (वृद्धि)/कमी		(291.78)	69.14
	अल्पकालीन प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी		99.59	(33.79)
	व्यापारिक देनदारियों में (वृद्धि)/कमी		(703.21)	(662.66)
	अन्य चालू दायित्वों में (वृद्धि)/कमी		33.18	(48.57)
	व्यवसाय से उत्पन्न/ रोकड़		7,796.43	446.84
	कर भुगतान (रिफण्ड का शुद्ध)		(274.97)	(132.52)
	व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह	(अ)	7,521.46	314.32
ब.	निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः			
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण, अमूर्त संपत्तियाँ,प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य, अमूर्त संपत्तियाँ के प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य,अंतर्गत विकास की खरीद के लिए भुगतान		(318.77)	(152.93)
	प्राप्त ब्याज		834.00	646.44
	बैंक में जमा राशि से पर प्राप्तियां		8,234.02	6,607.93
	बैंक में जमा राशि में निवेश		(8,285.50)	(9,979.60)
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर प्राप्तियां		76.59	32.20
	निवेशकीय गतिविधियों में (उपयोग)/से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह	(ब)	540.34	(2,846.96)
स.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः			
	वर्ष के दौरान अंश आवेदन हेतु प्राप्त राशि (आवंटन लंबित)		54.47	146.88
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ (प्रतिभूति (Security) प्रीमियम सहित)		478.21	836.42
	निरस्त/समर्पण समता अंशों का पुनर्भुगतान (प्रतिभूति (Security) प्रीमियम सहित)		(1,292.34)	(618.07)
	अल्पकालीन ऋणों से प्राप्तियाँ		2,139.12	27,899.90
	अल्पकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान		(9,116.39)	(27,887.91)
	लाभांश का भुगतान		(305.78)	(263.84)
	वित्त लागत भुगतान		(145.50)	(437.60)
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की शुद्ध रोकड़	(स)	(6,188.21)	(324.22)
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध कमी	(अ+ब+स)	(126.41)	(2,856.86)
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		382.24	3,239.10
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		**255.83**	**382.24**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित है :	16		
	बैंकों में शेषः			
	चालू खातों में		255.83	382.24
			255.83	382.24

नोट्सः

i) रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 – रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ii) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े रोकड़ निकासी को दर्शाते है।

यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट रोकड़ प्रवाह विवरण है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
जगदीश प्रसाद इनाणीया
निदेशक
डी.आई.एन.–09684777

ह./–
सुनिता शर्मा
निदेशक
डी.आई.एन.–09286071

ह./–
डॉ. मनवीर सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.– 09442343

ह./–
राजीव गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 094549

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. FCS 5302

ह./–
अमित जैन
वरिष्ठ प्रबंधक– वित्त एवं लेखा

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1. सामान्य जानकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था। कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों (MPP) के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रेश एवं पशु सीमेन की सेवाओं का व्यवसाय करती है जिससे पशुओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिसका सीधा प्रभाव दूध के उत्पादन पर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप दूध और दूध उत्पादों का व्यवसाय बढता है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का संक्षिप्त विवरण

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार संचय के आधार (Accural Basis) पर तैयार किये गये है। यह वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (लेखा मानक) 2021 के तहत् अधिसूचित लेखा मानकों के सभी आवश्यक पहलुओं के अनुपालना में तैयार किये गये है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (खंड I) में निर्दिष्ट कम्पनी के परिचालन चक्र और अन्य मापदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण और रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यो में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कम्पनी ने संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.2 संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई है, तो उसको घटाने के उपरान्त लिया गया है। लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य करों सहित क्रय मूल्य और संपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए किये गये प्रत्यक्ष रूप से खर्चे सम्मिलित है। यदि मान्यता मापदंड पूरे होते है तो संपत्ति, प्लांट औरउपकरण की किसी वस्तु से संबंधित बाद की लागतों को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की वस्तु को निष्कासन पर या जब इसके उपयोग या निष्कासन से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों नहीं हैं,तब उसे अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य होने पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.3 मूल्य ह्रास

संपत्ति की प्रकृति, उनके उपयोग की अनुमानित अवधि और परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखने हुये प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी अस्तित्व पर सीधी रेखा पद्धति से आनुपातिक आधार पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि इसे किसी अन्य संपत्ति की वहन राशि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपयोगी अस्तित्व, अवशिष्ट मूल्य और मूल्य ह्रास पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाती है। यदि अपेक्षाएं गत अनुमानों से भिन्न है, तो परिवर्तनों को लेखाकंन अनुमान में परिवर्तन के रूप में ध्यान में रखा जाता है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:–

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षो में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षो में)
बिल्डिंग	30	10
प्लांट एवं उपकरण– दूध के कैन	15	4
प्लांट एवं उपकरण– अन्य	15	10
ऑफिस उपकरण	5	5
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	10
कम्प्यूटर्स	3	3

2.4 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई है तो उसको घटाने के उपरान्त लिया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी अस्तित्व के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। प्रबंधन द्वारा खंडन योग्य अवधारणा पर

विचार किया जाता है कि किसी अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी अस्तित्व उस दिनांक से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी अस्तित्व गत अनुमानों से काफी भिन्न है तो परिशोधन अवधि तदनुसार परिवर्तन कर दी जाती है।

किसी अमूर्त संपत्ति की सेवानिवृति या निष्कासन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निष्कासन आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्ति के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:–

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षों में)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	NA	3
ट्रेड मार्क	NA	5

2.5 ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज और ऋण के संबंध में होने वाली अन्य लागत सम्मिलित होते हैं। योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट ऋण लागत, जो ऐसी संपत्तियां है जिन्हें इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन संपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि संपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री पर्याप्त रूप से तैयार न हो जायें। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किये गये है।

2.6 संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति (मूर्त और अमूर्त) क्षतिग्रस्त हो सकती है यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति/रोकड़ उत्पादन इकाई (''CGU'') की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। प्राप्ति योग्य राशि किसी संपत्ति या CGU के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य किसी संपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी अस्तित्व के अंत में उसके निष्कासन से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि का आंकलन करने के उद्देश्य से, प्राप्ति योग्य राशि एक विशिष्ट संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है। संपत्तियों के पहचान योग्य सबसे छोटा समूह जो निरंतर उपयोग से रोकड़ प्रवाह उत्न्न करता है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से रोकड़ प्रवाह से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है, उसे CGU माना जाता है। संपत्तियों या CGU जिसका वहन मूल्य इसकी प्राप्ति योग्य राशि से अधिक है, को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी प्राप्तियां योग्य राशि में लिखा जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में किसी संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है या कम हो सकती है। हानि को उस सीमा तक बदल दिया जाता है कि संपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि कोई हानि पहले से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

2.7 स्टॉक

स्टॉक कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। स्टॉक इन ट्रेड की लागत में कच्चा स्टॉक, प्रत्यक्ष श्रम, अन्य प्रत्यक्ष लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत भी सम्मिलित है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रणाली में पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने के पश्चात अनुमानित बिक्री मूल्य है।

2.8 आय का निर्धारण

माल की बिक्री

बिक्री को मान्यता तब दी जाती है जब अनुबंध की शर्तो के अनुसार माल का स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित कर दिये जाते है, जो माल की डिलीवरी के अनुरूप है और व्यापार बट्टे, छूट और वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

अन्य आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुये समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

2.9 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में योगदान नियामन प्राधिकरण को किया जाता है, जहां कम्पनी का कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं है। ऐसे लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कम्पनी का मासिक आधार पर किये गये योगदान के अतिरिक्त कोई ओर दायित्व नहीं है।

ग्रेच्यूटी

कम्पनी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ योजना (''ग्रेच्यूटी योजना'') प्रदान करती है। ग्रेच्यूटी योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृति, मृत्यू, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समापन पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते है। ग्रेच्यूटी योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निधिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक चिट्ठा में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से परिभाषित लाभ दायित्व घटाकर वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समापन से 12 महीनों के अंदर प्राप्त या नकदीकरण किये जाने की संभावना है, को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। इसके प्रति दायित्व को वर्ष के समापन में अप्रयुक्त योग्यता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत पर मापा जाता है।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समापन से 12 महीनों से अधिक समय तक प्राप्त या नकदीकरण की जाने की संभावना है, को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समापन पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते है।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निधिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक चिट्ठा में मान्यता प्राप्त संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

2.10 चालू एवं स्थगित कर

अवधि के लिए कर व्यय, जिसमें वर्तमान कर और स्थगित कर सम्मिलित है जोकि अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित किये गये है। वर्तमान कर को प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। स्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेक पर विचार के अधीन, सभी समय अंतरों के लिए स्थगित कर को मान्यता प्रदान की जाती है। स्थगित कर केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है और मान्यता प्रदान की जाती है, जहां उचित निश्चितता हो, की पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष ऐसी स्थगित कर संपत्तियों की प्राप्ति की जा सकती है। स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है और कर कानून जो आर्थिक चिट्ठा की दिनांक तक अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित किये गये है।

वर्तमान कर संपत्तियों और चालू कर देनदारियों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देनदारी को शुद्ध आधार पर स्थगित करने का उद्देश्य है। स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब चालू कर का प्रतिनिधित्व करने वाली दायित्वों के विरूद्ध संपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से अधिकार है और जहां स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों समान अभिशासित कराधान कानूनों द्वारा लगाये गये आय पर करों से संबंधित है।

2.11 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी गत घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि दायित्व को

स्थापित करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान है। प्रावधानों को आर्थिक चिट्ठा की तिथि पर चालू दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोतम अनुमान पर मापा जाता है और इसके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक दायित्व

आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से कोई संभावित दायित्व उत्पन्न होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो संपूर्ण रूप से कम्पनी के नियंत्रण में नहीं है या कोई वर्तमान दायत्वि जो पिछले घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभव नहीं है स्थापित करने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

2.12 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकन सिंद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो आर्थिक चिट्ठा की तिथि के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई की राशि और आर्थिक चिट्ठे की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते है। इन वित्तीय विवरणों में उपयोग किये गये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरण की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और संपत्तियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते है।

2.13 लीज

परिचालन लीज

ऐसी लीज जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण भाग मालिक (Lessor) के निहित होता है, उन्हें परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत किये गये भुगतान को लीज की अवधि के दौरान एक सीधी पद्धति के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.14 रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य

रोकड़ प्रवाह विवरण में, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में हस्तगत रोकड़, बैंकों के पास मांग जमायें, 3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता की अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश सम्मिलित है।

2.15 प्रति अंश आय

प्रति अंश मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या से समता अंशधारकों के कारण होने वाली अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना करने के उद्देश्य से, समता अंशधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया अंशों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्यूटेड संभावित समता अंशों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.16 अनुदान

सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब उसका यह कोई उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कम्पनी सभी संलग्न शर्तो का पालन करेगी।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानो को स्थगित कर दिया जाता हैं और उन्हें उन लागतों के साथ मिलाने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान लाभ या हानि मानी जाती है जिनकी क्षतिपूर्ति करने का उनका उद्देश्य है और अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

संपति, प्लांट और उपकरण के क्रय से संबंधित सरकारी अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे संपत्ति के अस्तित्व एवं व्यवस्थित रूप से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है अर्थात, ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास शुल्क को स्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्यह्रास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
3. अंश पूंजी		
अधिकृत		
5,000,000 (31 मार्च, 2024 रू. 5,000,000) प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	5,000.00	5,000.00
जारी की गई,		
3,433,921 (31 मार्च, 2024 रू. 3,822,279) प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	3,433.92	3,822.28
सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी		
3,433,921 (31 मार्च, 2024 रू. 3,822,279) प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	3,433.92	3,822.28

(i) अंशों की संख्या राशियों का मिलानः

31 मार्च 2025 को स्थिति

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	राशि
समता अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,822,279	3,822.28
जोडियेः वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	509,785	509.78
घटाईयेः वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	(898,143)	(898.14)
वर्ष के समापन पर शेष	**3,433,921**	**3,433.92**

31 मार्च 2024 को स्थिति

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	राशि
समता अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,769,204	3,769,20
जोडियेः वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	602,231	602.23
घटाईयेः वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	(549,156)	(549.16)
वर्ष के समापन पर शेष	**3,822,279**	**3,822.28**

(ii) समता अंशों से सम्बन्धित अधिकार तथा प्रतिबंध

कंपनी के पास समता अंशों की केवल एक श्रेणी है जिनका सममूल्य रू. 100/– प्रति अंश हैं। प्रत्येक अंशधारक एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस प्राप्त करने का अधिकारी है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में अंशधारकों के अधीन है।

(iii) कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नही है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये है।

(v) प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण

31 मार्च 2025 को स्थिति

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	Not Applicable	Not Applicable
3	भागचन्द	106	0.00
4	भगवान सहाय	Not Applicable	Not Applicable
5	जटा शंकर यादव	36	0.00
6	लादू लाल	81	0.00
7	ममता चौधरी	77	0.00
8	नारायण लाल गुर्जर	253	0.01
9	सेडमल शर्मा	14	0.00
10	सुनिता शर्मा	219	0.01
11	विजय सिंह मीणा	183	0.01
12	चन्दा यादव	140	0.00
13	हनुमान चौधरी	53	0.00
14	जगदीश प्रसाद इनाणीया	160	0.00
15	अनिता चौधरी	29	0.00
16	मुकेश कुमार गढ़वाल	26	0.00

31 मार्च 2024 को स्थिति

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	130	0.00
3	भागचन्द	97	0.00
4	भगवान सहाय	126	0.00
5	गीता देवी गुर्जर *	Not Applicable	Not Applicable
6	जटा शंकर यादव	34	0.00
7	लादू लाल	79	0.00
8	ममता चौधरी	73	0.00
9	नारायण लाल गुर्जर	231	0.01
10	सेडमल शर्मा *	Not Applicable	Not Applicable
11	सुनिता शर्मा	219	0.01
12	विजय सिंह मीणा	183	0.00
13	चन्दा यादव	140	0.00
14	हनुमान चौधरी	53	0.00
15	जगदीश प्रसाद इनाणीया	153	0.00
16	अनिता चौधरी**	29	0.00
17	मुकेश कुमार गढवाल**	26	0.00

*दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से कम्पनी में निदेशक के पद पर नहीं है।
**दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।
(vi) बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश से संबंधित नोट 31 देखें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
4. संचित एवं अधिशेष		
(अ) सामान्य संचय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	6,064.74	5,596.54
जोड़िये/घटाईयेः लाभ एवं हानि के विवरण मे अधिशेष से/(में) अंतरित	810.17	468.20
वर्ष के समापन पर शेष	6,874.91	6,064.74
(ब) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	2,076.54	1,844.33
जोड़िये :वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	115.31	301.12
घटाईये : वर्ष के दौरान अंशों के निरस्त/समर्पण पर प्रीमियम का भुगतान	(394.20)	(68.91)
वर्ष के समापन पर शेष	**1,797.65**	**2,076.54**
(स) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	305.78	263.84
जोड़िये : वर्ष का लाभ	1,084.88	773.98
घटाईयें : 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रू. 8/– प्रति समता अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) (31 मार्च, 2023:रू. 7/– प्रति समता अंश)	(305.78)	(263.84)
जोड़िये/(घटाईयें) सामान्य संचय से /(में) हस्तातंरण	(810.17)	(468.20)
वर्ष के समापन पर शेष	**274.71**	**305.78**
	8,947.27	**8,447.06**
5. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		
अंश आवेदन राशि (नोट 32 को देखें)	54.47	146.88
	54.47	**146.88**
6. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)		
अ. वर्ष के प्रारम्भ में शेष	239.37	353.58
ब. घटाईये : पूंजीगत अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (नोट 12 अ को देखें)	(102.50)	(113.96)
स. घटाईये : संपत्ति, प्लांट और उपकरण को बट्टे खातें (Write-off) में डालने पर हानि	(0.29)	(0.25)
	136.58	**239.37**

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
7.	**अन्य दीर्घकालीन दायित्व**		
	(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	1,026.83	1,318.61
		1,026.83	**1,318.61**

8. अल्पकालीन ऋण	मुद्रा में ऋण	परिपक्वता तिथि	पुनर्भुगतान की शर्ते	रसीद/ब्याज दर	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
बैंकों से असुरक्षित						
बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	रूपयों	नीचे नोट (अ) को देखे	नीचे नोट (अ) को देखें	नीचे नोट (अ) को देखें	–	6,977.27
					–	6,977.27

नोटः

(अ) कम्पनी ने बिल की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के लिए बैंक से बिल डिस्काउंटिंग सुविधा ले रखी है। ब्याज दर **Nil** है (31 मार्च, 2024 : रेपो रेट प्लस 0 प्रतिशत) है।

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
9.	**व्यावसायिक देनदारियाँ**		
	(अ) लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नीचे नोट को देखें)	244.03	292.86
	(ब) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	4,814.26	5,468.64
		5,058.29	**5,761.50**

नोटः लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग (एमएसएमई) को बकाया का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं :

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और वर्ष के समापन पर अदत्त	244.03	292.86
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज और वर्ष के समापन पर अदत्त	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात मूल राशि का भुगतान	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान	–	–

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

भुगतान करने में हुये विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु निर्धारित तारीख के पश्चात) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	—	—
लेखाकंन वर्ष के समापन पर अर्जित ब्याज और शेष अदत्त	—	—
पूर्ववर्ती वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब यथा पूर्वत देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में मूक के प्रयोजन के लिए	—	—

9 व्यावसायिक देनदारियाँ (निरंतर)

व्यावसायिक देनदारियाँ परिपक्वन अनुसूचीः

विवरण	31 मार्च 2025 तक चालान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	84.25	—	159.78	—	—	—	244.03
अन्य	196.94	—	4,602.71	5.98	1.96	6.67	4,814.26
विवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—
योग	**281.19**	**—**	**4,762.49**	**5.98**	**1.96**	**6.67**	**5,058.29**

विवरण	31 मार्च 2024 तक चालान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	10.19	—	282.67	—	—	—	**292.86**
अन्य	54.00	—	5,401.51	1.96	4.50	6.67	**5,468.64**
विवादित देय	—	—	—	—	—	—	—
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	—	—	—	—	—	—	—
अन्य							
योग	**64.19**	**—**	**5,684.18**	**1.96**	**4.50**	**6.67**	**5,761.50**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
10.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) पूंजीगत लेनदारियाँ	9.05	–
	(ब) सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	35.22	50.58
	(स) अर्जित ब्याज परन्तु देय नही	–	68.77
	(द) वैधानिक देय देनदारियां	72.51	54.84
	(य) अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लांभाश	4.98	10.45
	(र) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	14.88	48.56
	(ल) ग्राहकों/विक्रेता से प्राप्त प्रतिभूति जमाएं	147.57	67.17
	(व) कर्मचारी लाभ देय	76.01	91.57
		360.22	**391.94**
11.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :		
	(अ) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान	99.65	9.08
	(ब) गेच्यूटी के लिए प्रावधान (नोट 34 को देखें)	19.23	10.21
		118.88	**19.29**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

12. संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2025 को स्थिति	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	35.46	-	3.05	32.41	28.96	3.03	3.05	28.94	3.47	6.50
प्लांट एवं उपकरण	4,693.55	87.59	232.22	4,548.92	3,919.49	297.43	231.38	3,985.54	563.38	774.06
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	201.01	2.20	12.39	190.82	199.06	1.33	12.36	188.03	2.79	1.95
ऑफिस उपकरण	67.89	3.59	0.50	70.98	63.16	0.63	0.48	63.31	7.67	4.73
कम्प्यूटरर्स	876.97	28.55	1.03	904.49	845.64	23.05	1.02	867.67	36.82	31.33
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,360.25	0.15	-	1,360.40	1,360.25	0.02	-	1,360.27	0.13	-
ट्रेड मार्क	0.90	-	-	0.90	0.90	-	-	0.90	-	-
योग	**7,236.03**	**122.08**	**249.19**	**7,108.92**	**6,417.46**	**325.49**	**248.29**	**6,494.66**	**614.26**	**818.57**
प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य [नोट 12 (बी) (i)] देखें	**2.42**	-	-	**2.42**	-	-	-	-	**2.42**	**2.42**
विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ [नोट 12 (बी) (ii)] देखें	-	**205.74**	-	**205.74**	-	-	-	-	**205.74**	-

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	35.46	-	-	35.46	25.93	3.03	-	28.96	6.50	9.53
प्लांट एवं उपकरण	4,605.34	136.37	48.16	4,693.55	3,651.03	316.36	47.90	3,919.49	774.06	954.31
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	231.04	-	30.03	201.01	226.53	2.56	30.03	199.06	1.95	4.51
ऑफिस उपकरण	68.53	0.69	1.33	67.89	63.78	0.64	1.26	63.16	4.73	4.75
कम्प्यूटरर्स	863.77	13.20	-	876.97	824.57	21.07	-	845.64	31.33	39.20
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,360.25	-	-	1,360.25	1,360.25	-	-	1,360.25	-	-
ट्रेड मार्क	0.90	-	-	0.90	0.90	-	-	0.90	-	-
योग	**7,165.29**	**150.26**	**79.52**	**7,236.03**	**6,152.99**	**343.66**	**79.19**	**6,417.46**	**818.57**	**1,012.30**
प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य [नोट 12 (बी) (i)] देखें	-	**2.42**	-	**2.42**	-	-	-	-	**2.42**	-
विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ [नोट 12 (बी) (ii)] देखें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट 12 (अ) :

पूंजीगत अनुदान से अर्जित की गई एवं नोट 12 में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2025 को स्थिति	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	31.90	-	-	31.90	25.40	3.03	-	28.43	3.47	6.50
प्लांट एवं उपकरण	1,599.04	-	142.99	1,456.05	1,369.15	98.95	142.72	1,325.38	130.67	229.89
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	161.66	-	12.08	149.58	161.06	0.52	12.06	149.52	0.06	0.60
ऑफिस उपकरण	47.97	-	-	47.97	45.59	-	-	45.59	2.38	2.38
कम्प्यूटरर्स	722.59	-	-	722.59	722.59	-	-	722.59	-	-
अमूर्त संपत्तियां										-
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	-	-	1,302.33	1,302.33	-	-	1,302.33	-	-
ट्रेड मार्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग	**3,865.49**	**-**	**155.07**	**3,710.42**	**3,626.12**	**102.50**	**154.78**	**3,573.84**	**136.58**	**239.37**

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण .										
बिल्डिंग	31.90	-	-	31.90	22.37	3.03	-	25.40	6.50	9.53
प्लांट एवं उपकरण	1,623.07	-	24.03	1,599.04	1,283.16	109.77	23.78	1,369.15	229.89	339.91
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	191.69	-	30.03	161.66	189.93	1.16	30.03	161.06	0.60	1.76
ऑफिस उपकरण	47.97	-	-	47.97	45.59	-	-	45.59	2.38	2.38
कम्प्यूटरर्स	722.59	-	-	722.59	722.59	-	-	722.59	-	-
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	-	-	1,302.33	1,302.33	-	-	1,302.33	-	-
ट्रेड मार्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**3,919.55**	**-**	**54.06**	**3,865.49**	**3,565.97**	**113.96**	**53.81**	**3,626.12**	**239.37**	**353.58**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

12 (ब) :

अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(i) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य परिपक्वन अनुसूची :

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	31 मार्च 2025 तक अवधि के लिये प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षो	2–3 वर्षो	3 वर्षो से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	–	2.42	–	–	2.42
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	31 मार्च 2024 तक अवधि के लिये प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षो	2–3 वर्षो	3 वर्षो से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	2.42	–	–	–	2.42
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

नोटः ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य है, जिसका पूर्ण होना विलम्बित या जिसकी लागत वास्तविक योजना की तुलना में अधिक हो गई हो।

(ii) विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ

विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ' परिपक्वन अनुसूची :

विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ	31 मार्च 2025 तक अवधि के लिये विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षो	2–3 वर्षो	3 वर्षो से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	205.74	–	–	–	205.74
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ	31 मार्च 2024 तक अवधि के लिये विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्षो	2–3 वर्षो	3 वर्षो से अधिक	योग
प्रगति अधीन परियोजनाएं	–	–	–	–	–
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

नोटः ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो विकास अधीन अमूर्त संपत्तियाँ **है, जिसका पूर्ण होना विलम्बित या जिसकी लागत वास्तविक योजना की तुलना में अधिक हो गई हो।**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
13.	**स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)**		
	(Deferred tax Assets (net)		
	(अ) स्थगित कर दायित्वों	–	–
	(ब) स्थगित कर संपत्तियाँ		
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां	65.05	64.40
	स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	65.05	64.40
14.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गयें)**		
	(अ) पूर्वदत्त व्यय	25.44	0.18
	(ब) अग्रिम कर (आयकर के लिए प्रावधानों का शुद्ध रू. 2,949.82 लाख (31 मार्च, 2024: रू. 2,633.32 लाख)	225.50	237.03
		250.94	**237.21**
15.	**अन्य गैर चालू संपतियाँ (असुरक्षित, उचित माने गयें)**		
	(अ) प्रतिभूति जमा	8.47	7.85
	(ब) अन्य लेनदारियां	1.13	1.13
	(स) अन्य बैंक शेष		
	बैंक में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली दीर्घकालीन जमाएं*	594.37	2,145.99
		603.97	**2,154.97**

*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित रू. Nil (31 मार्च, 2024: रू. 292.40 लाख)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
16.	**स्टॉक**		
	(अ) स्टाक इन ट्रेड (ट्रांजिट में रू. 291.03 लाख सम्मिलित है, 31 मार्च, 2024 : रू. 597.89 लाख)	813.18	1,421.42
		813.18	**1,421.42**
17.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(अ) सुरक्षित, उचित माने गये	416.93	348.63
	(ब) असुरक्षित, उचित माने गये	3,668.83	11,334.37
		4,085.76	**11,683.00**

*ग्राहकों से प्राप्त प्रतिभूति जमा के विरूद्ध सुरक्षित शेष राशि को अंकित करता है (नोट संख्या 7 को भी देखें)

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

17 व्यावसायिक लेनदारियाँ (निरंतर)
व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्वन अनुसूचीः

विवरण	31 मार्च 2025 तक चालान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नही	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	—	4,083.31	2.45	—	—	—	4,085.76
संदिग्ध माने गये	—	—	—	—	—	—	—
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	—	—	—	—	—	—	—
संदिग्ध माने गये	—	—	—	—	—	—	—
	—	**4,083.31**	**2.45**	—	—	—	**4,085.76**

व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्वन अनुसूचीः

विवरण	31 मार्च 2024 तक चालान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नही	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	—	11,683.00	—	—	—	—	11,683.00
संदिग्ध माने गये	—	—	—	—	—	—	—
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	—	—	—	—	—	—	—
संदिग्ध माने गये	—	—	—	—	—	—	—
	—	**11,683.00**	—	—	—	—	**11,683.00**

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
18.	**रोकड़ तथा रोकड़ शेष**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	बैंक शेष :		
	- चालू खातों में	255.83	382.24
		255.83	**382.24**
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	वास्तविक परिपक्वता तीन महीनों से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की जमाएं**	11,433.97	9,830.87
	अदत्त लाभांश खातें	4.98	10.45
		11,438.95	**9,841.32**
		11,694.78	**10,223.56**

**कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित NIL (31 मार्च, 2024: रू. 3,230.98 लाख)

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निवेशक शिक्षा एवं सरंक्षण निधि में रू. 6.59 लाख (31 मार्च, 2024: रू. 13.16 लाख) की राशि जमा की है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 तक निवेशक शिक्षा एवं सरंक्षण निधि में जमा करने के लिए कोई राशि लंबित नही है।

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
19.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)**		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम	0.05	0.05
	(ब) लेनदारों को अग्रिम	202.97	13.56
	(स) पूर्वदत्त व्यय	134.01	52.99
	(द) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	-	70.31
		337.03	**136.91**
20.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज	463.33	381.74
		463.33	**381.74**

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
21.	**व्यवसाय से आय**		
	उत्पादों की बिक्री		
	(i) व्यावसायिक माल (नोट संख्या (ii) देखें)	128,757.70	163,103.88
	(ii) घटाईये : पुनः क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (नोट संख्या (i) देखें)	5,210.64	17,681.87
		123,547.06	**145,422.01**

नोटः (i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।

	(ii) **विक्रय का विवरण**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	106,717.86	120,914.03
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	3,557.72	10,581.72
	(स) अन्य दूध उत्पादक	481.46	1,008.12
	(द) घी	2,019.93	3,056.29
	(य) पशु आहार	10,501.99	9,583.33
	(र) पशु सीमेन	268.10	278.52
	कुल	123,547.06	145,422.01
22.	**अन्य आय**		
	ब्याज से आय		
	–बैंक जमाओं पर	911.10	752.90
	–आयकर रिफण्ड पर	4.49	10.10
	अन्य गैर–व्यवसायिक आय		
	सदस्यता शुल्क	8.87	8.22
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	75.69	31.87
	विविध आय	90.51	67.50
		1,090.66	**870.59**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
CIN - U01211RJ2012PTC038955
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
23.	**स्टॉक इन ट्रेड का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध (नोट संख्या 21(i) देखें)	99,100.73	111,865.05
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	3,234.95	9,887.68
	(स) घी	1,679.14	3,399.46
	(द) पशु आहार	10,221.19	9,300.75
	(य) अन्य दूध उत्पादक	440.89	951.00
	(र) पशु सीमेन	190.60	198.91
		114,867.50	**135.602.85**
24.	**स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन**		
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		
	वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	(अ) स्टॉक इन ट्रेड	813.18	1,421.42
	घटाईये : वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड	1,421.42	1,196.39
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी	**608.24**	**(225.03)**
25.	**कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन, मजदूरी एवं लाभांश	1,333.54	1,265.92
	(ब) ग्रेच्युटी (नोट 34 देखें)	58.94	42.61
	(स) भविष्य निधियों में योगदान (नोट 34 देखें)	85.80	85.26
	(द) कर्मचारी कल्याण व्यय	37.28	40.78
		1,515.56	**1,434.57**
26.	**वित्त लागत**		
	ऋण पर ब्याज व्यय	76.73	450.34
	वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	0.92	2.84
		77.65	**453.18**
27.	**मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय**		
	संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास (नोट 12 देखें)	325.47	343.66
	घटाईयेः पूंजी अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (नोट 12 (अ) देखें)	(102.50)	(113.96)
	अमूर्त संपत्तियों की क्षति (नोट 12 देखें)	0.02	—
		222.99	229.70

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
28.	**अन्य व्यय**		
	(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स पार्ट का उपभोग	156.66	132.86
	(b) पॉवर एवं फ्यूल	21.83	20.55
	(c) किराया (नोट 35 देखें)	89.89	86.79
	(d) मरम्मत एवं रख–रखाव – भवन	52.91	55.60
	(e) मरम्मत एवं रख–रखाव – मशीनरी	355.73	409.34
	(f) मरम्मत एवं रख–रखाव – अन्य	5.72	4.77
	(g) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	15.75	74.00
	(h) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	3,689.86	5,353.33
	(i) बीमा भार	118.92	116.91
	(j) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	152.89	133.35
	(k) अंकेक्षकों को भुगतान (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	33.69	33.45
	(l) यात्रा एवं परिवहन व्यय	156.32	234.77
	(m) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	796.41	774.43
	(n) संप्रेषण व्यय	149.04	135.71
	(o) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के प्रति व्यय (नीचे दिया गया नोट (ii) देखें)	8.91	9.46
	(p) विविध व्यय	170.52	174.01
		5,975.05	**7,749.33**
	नोटः (i)		
	अंकेक्षकों के पारिश्रमिक		
	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	24.50	24.50
	कर अंकेक्षण शुल्क	2.50	2.50
	खर्चों की प्रतिपूर्ति	1.55	1.35
	उपरोक्त पर माल एवं सेवाकर (GST)	5.14	5.10
		33.69	**33.45**
	नोटः (ii)		
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण		
	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	8.91	9.46
	अतिरिक्त व्यय की गई राशि को आगे ले जाया गया	—	—
	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
	i किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	—	—
	ii उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	8.91	9.46
		8.91	9.46
	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि अनुवर्ती वर्षों के लिए उपलब्ध समायोजन	—	—
	CSR गतिविधियों की प्रकृति		
	(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान		
	(ii) गिफ्टमिल्क कार्यक्रम		

इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के जयपुर जिले की सरकारी आँगनवाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करना है।

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
29.	**प्रति अंश आय**		
	कर के बाद लाभ	1,084.88	773.98
	वर्ष के दौरान भारित औसत अदत्त समता अंशों की संख्या	3,717,632	3,722,351
	प्रति समता अंश अंकित मूल्य (रू.)	100.00	100.00
	प्रति अंश मूल आय/(हानि) (रू.)	29.18	20.79
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	3,717,781	3,722,619
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय/(हानि) (रू.) (नीचे नोट को देखे)	29.18	20.79
30.	**आकस्मिक दायित्व**		
	(a) **कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया**		
	मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावें	22.07	22.07

31. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 14 जुलाई, 2025 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 274.71 लाख (रू. 8 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है।

32. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रू. 54.47 लाख (31 मार्च, 2024: रू. 146.88 लाख) की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष [रू. 0.13 लाख (31 मार्च, 2024: रू. 0.62 लाख) निरस्तीकरण को छोड़कर] 16 मई, 2025 (31 मार्च, 2024: 14 मई, 2024) को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंवटन कर दिया गया है।

33. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Disclosures)

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	संबंधित पक्ष का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी	श्री रतन कुमार सिंह, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी (दिनांक 5 जुलाई, 2024 तक)
मुख्य प्रबंधक अधिकारी	डॉ. मनवीर सिंह, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी (दिनांक 6 जुलाई, 2024 से)

(ब) संबंधित पक्ष से लेन-देन की राशि एवं स्वरूप :	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर
प्रबंधक पारिश्रमिकः-		
रतन कुमार सिंह	108.67	92.70
डॉ. मनवीर सिंह*	42.91	–
	151.58	92.70

34. कर्मचारी लाभ योजनायें

अ) निर्धारित योगदान योजनायें

लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति की गई राशि	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर
i. प्राधिकरण को भविष्य निधि में भुगतान	85.80	85.26
	85.80	**85.26**

ब) निर्धारित लाभ योजना

ग्रेच्युटी

कम्पनी एक ग्रेच्युटी योजना संचालित करती है। प्रत्येक कर्मचारी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुरूप सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम 15 दिनों के वेतन के बराबर लाभ का पात्र है। यह कम्पनी से अलग होने या सेवानिवृत के समय, जो भी पहले हो, पर देय है। यह लाभ 5 साल की निरन्तर सेवा के बाद मिलता है।

	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
i. निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	278.95	225.56
चालू सेवा लागत	31.50	33.63
ब्याज लागत	16.93	16.27
गत सेवा लागत	—	—
लाभ का भुगतान	(86.73)	(6.63)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	27.97	10 12
वर्ष के समापन पर शेष	**268.62**	**278.95**

	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	268.74	233.95
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	17.00	17.30
कम्पनी द्वारा योगदान	49.92	24.01
लाभ का भुगतान	(86.73)	(6.63)
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.46	0.11
वर्ष के समापन पर शेष	**249.39**	**268.74**

	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
iii. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे		
वर्तमान सेवा लागत	31.50	33.63
गत सेवा लागत	16.93	16.27
ब्याज व्यय	-	-
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(17.00)	(17.30)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	27.51	10.01
कुल व्यय	**58.94**	**42.61**

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर
iv.	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	17.00	17.30
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.46	0.11
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	17.46	17.41

		31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
v.	**दायित्वों चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	268.62	278.95
	घटाईये : योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	249.39	268.74
	दायित्व के रूप में स्वीकृत की गई राशि*	**19.23**	**10.21**

* नोट 11 में प्रकटीकरण

vi. चालू और पिछले वर्ष में स्वीकृत की गई राशि

	31.03.2025 को स्थिति	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति	31.03.2022 को स्थिति	31.03.2021 को स्थिति
निर्धारित लाभ दायित्वों	268.62	278.95	225.56	191.93	163.88
योजना संपत्तियों	249.39	268.74	233.95	211.63	180.84
(अधिशेष) / कमी	19.23	10.21	(8.39)	(19.70)	(16.96)
योजना दायित्वों में अनुभवों का समायोजन हानि / (लाभ)	27.97	10.12	(0.54)	(4.60)	22.53
योजना सम्पतियों में अनुभवों का समायोजन (हानि) / लाभ	0.46	0.11	(0.41)	0.56	(1.05)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर
vii.	**बीमांकिक अनुमान**		
	बट्टे की दर	6.93%	7.23%
	वेतन वृद्धि दर	10.00 %	9.00 %
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.40%	7.13%
	संघर्षण दर (Attrition rate)	12.00%	12.00%

1. भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, बीमांकिक मूल्यांकन का अनुमान, मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों जैसे अन्य रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
2. उपयोग की जाने वाली बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को सरकारी बोंडों पर प्रतिबद्धताओं की दर के साथ परिपक्वता की शेष शर्तों से कम्पनी के दायित्वों का अनुमान लगाती है।

		31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
viii.	**अगले वर्ष फंड में अपेक्षित योगदान**		
	गेच्युटी	61.97	7.20
ix.	कुल योजना संपत्तियों के % रूप में योजना संपत्तियों की प्रमुख श्रेणी	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
	बीमाकर्ता द्वारा निधि प्रबंधन	100%	100%

योजना संपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर (भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से) धारित योजना संपत्तियों की संरचना पर आधारित है।

35. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों के लिए परिचालन हेतु लीज़ व्यवस्था की है। ये लीज व्यवस्था 11 महीने और 9 वर्ष के बीच की अवधि के लिए होती है, जो निरस्त की जा सकती है। अधिकांश लीज पारस्परिक रूप से आपसी शर्तों पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण की जा सकती है और इसमें वृद्धि खंड भी शामिल है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लीज भुगतान रू. 89.89 लाख (31 मार्च, 2024 को रू. 86.79 लाख) है।

36. अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(अ) विश्लेषणात्मक अनुपात

विवरण		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	परिवर्तन प्रतिशत में	परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	1	3.14	1.81	73.22%	चालू देनदारियों में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
ऋण समता अनुपात	2	-	0.57	-100.00%	यह अनुपात कम हो गया है क्योंकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष तक कोई ऋण नही है।
ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	3	0.18	0.06	195.39%	गत वर्ष की तुलना में ऋण में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
अंशों पर प्रत्याय अनुपात	4	0.09	0.07	35.01%	गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
स्टॉक आवर्त अनुपात	5	110.58	111.10	-0.47%	लागू नही
व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात	6	15.67	12.26	27.83%	व्यापारिक लेनदारियां वसूली में सुधार के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
व्यापारिक देय आवर्त अनुपात	7	22.34	23.53	-5.06%	लागू नही
शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात	8	10.9	14.73	-25.61%	गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में व्यवसाय की कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
शुद्ध लाभ अनुपात	9	0.009	0.005	64.99%	गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
नियोजित पूंजी प्रत्याय	10	0.09	0.08	15.07%	लागू नही
निवेश पर प्रत्याय	11	-	-	-	लागू नही

विवरण		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1. चालू अनुपात			
चालू संपत्तियां	गुणक	17,394.08	23,846.63
चालू दायित्व	भाजक	5,537.39	13,150.00
2. ऋण समता अनुपात			
कुल ऋण	गुणक	-	6,977.27
अंशधारकों के समता अंश	भाजक	12,381.19	12,269.34
3. ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात			
ऋण सेवा के लिए आय उपलब्ध है।	गुणक	1,671.37	1,730.88
ऋण सेवा	भाजक	9,116.39	27,887.91
(i) ऋण सेवा के लिए आय उपलब्ध है: कर से पूर्व शुद्ध लाभ+ मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+ वित्तीय लागत + संपत्ति, प्लांट और लीज भुगतान + प्रमुख अदायगी		1671.37	1730.88
(ii) ऋण सेवाः ब्याज और लीज भुगतान+ प्रमुख अदायगी		9,116.39	27,887.91
4. अंशों पर प्रत्याय अनुपात			
कर के पश्चात शुद्ध लाभ	गुणक	1,084.88	773.98
औसत अंशधारकों के समता अंश	भाजक	12,325.27	11,871.63

विवरण		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
5. स्टॉक आवर्त अनुपात			
विक्रय	गुणक	123,547.06	145,422.01
औसत विक्रय	भाजक	1,117.30	1,308.91
6. व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात			
शुद्ध उधार विक्रय	गुणक	123,547.06	145,422.01
औसत खाता लेनदारियां	भाजक	7,884.38	11,862.92
7. व्यापारिक देय आवर्त अनुपात			
कुल खरीद	गुणक	120,842.55	143,352.18
औसत व्यावसायिक देनदारियां	भाजक	5,409.89	6,092.83
8. शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात			
शुद्ध विक्रय	गुणक	123,547.06	145,422.01
औसत कार्यशील पूंजी	भाजक	11,276.66	9,873.34
9. शुद्ध लाभ अनुपात			
शुद्ध लाभ	गुणक	1,084.88	773.98
शुद्ध विक्रय	भाजक	123,547.06	145,422.01
10. नियोजित पूंजी प्रत्याय			
ब्याज और कर से पूर्व की आय	गुणक	1,448.38	1,501.18
नियोजित औसत पूंजी	भाजक	15,749.18	18,783.99
11. निवेश पर प्रत्याय			
कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है। अतः यह अनुपात लागू नहीं होता है।			

(ब) अन्य विनियामक जानकारी

(i) कम्पनी के नाम से धारित नहीं अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कम्पनी पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या ना ही लंबित है।

(iii) चालू संपत्तियों के विरूद्ध सुरक्षित ऋण

कम्पनी ने चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के सम्मुख बैंकों से ऋण लिया है। कम्पनी ने ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दर्ज नहीं किया है क्यांकि स्वीकृत पत्र/ऋणदाता के अनुबंध के अनुसार तिमाही रिटर्न की आवश्यकता नहीं है।

(iv) स्वेच्छिक चूककर्ता

कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(v) बंद (Struck Off) कंपनियों के साथ संबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बंद हुई कंपनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।

(vi) कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का पंजीकरण

ऐसा कोई प्रभार अथवा ऋण नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया जाना बाकी है।

(vii) कम्पनी के विभिन्न स्तरों (layers) की अनुपालना

कम्पनी ने किसी भी सहायक कम्पनी में निवेश नहीं किया है, इसलिए, यह कम्पनी पर लागू नहीं है।

(viii) व्यवस्थाओ (Arrangements) की अनुमोदित योजनाओं की अनुपालना

कम्पनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(ix) ऋण निधि और प्रतिभूतियों के प्रीमियम का उपयोग

कम्पनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या ईकाईयों को इस समझ के साथ निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ :

–कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चयनित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

–अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या ईकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप से दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कम्पनी:

फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी तरीके से पहचाने किये गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

–अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

(x) अप्रकटीकृत आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू या गत वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण की गई कोई आय नहीं है, जिसे लेखा पुस्तिकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(xi) निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम

कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xii) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा का विवरण

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(xiii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान संपत्ति, प्लांट और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। कम्पनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

(xiv) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण का उपयोग

कम्पनी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण को उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है जिनके लिए ऐसे ऋण लिये गये थे। कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

37. खंड रिपोर्टिंग

कम्पनी के व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना है। लेखा मानकों 17 ''खंड रिपोर्टिंग के अनुसार, कम्पनी ने अपने व्यवसाय खंड को दूध, दूध उत्पादों का व्यापार के रूप में निर्धारित किया है। कम्पनी पशुओं के चारे के लिए पशु आहार भी बनाती है जिससे पशुओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार होता है और दूध उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप दूध और दूध उत्पादों का व्यापार बढ़ता है। क्योंकि कम्पनी का सम्पूर्ण व्यवसाय दूध, दूध उत्पादों और पशु आहार के व्यापार से है, इसलिए कोई अन्य प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। इस प्रकार, खंड राजस्व, खंड परिणाम, खंड संपत्तियों का कुल वहन मूल्य, खंड दायित्वों कुल वहन मूल्य, खंड संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए की गई कुल लागत, वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास और परिशोधन के शुल्क की कुल सभी राशि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित है। आगे, चूंकि कम्पनी का सम्पूर्ण राजस्व भारत से उत्पन्न होता है, इसलिए भौगोलिक द्वितीयक खंड के प्रकटीकरण लागू नहीं होते है।

38. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से संबंधित है, जिसे 28 सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, जिस दिनांक को संहिता के प्रावधान लागू होंगे, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। संहिता और संबंधित योजनाओं/नियमों के प्रभावी होने पर कम्पनी इसके प्रभाव का आंकलन करेगी। कम्पनी प्रभाव का आकलन तब करेगी जब संहिता और संबंधित योजनाओं/नियमों के प्रभावी होंगे। आज तक प्रभावी दिनांक को अधिसूचित लंबित होने के कारण, इन वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रभाव लेखांकित नहीं किया गया है।

39. 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा में कोई आय, विदेशी मुद्रा में व्यय, पूंजी प्रतिबद्धताएं और विदेशी मुद्रा शेष नहीं है। इसलिए, इन वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रकटीकरण सम्मिलित नहीं है।

40. गत वर्ष के आंकड़े

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी.,
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./–	ह./–	ह./–
जगदीश प्रसाद इनाणीया	सुनिता शर्मा	डॉ. मनवीर सिंह
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–09684777	डी.आई.एन.–09286071	डी.आई.एन.–09442343

ह./–	ह./–	ह./–
राजीव गोयल	अनूप गुप्ता	अमित जैन
पार्टनर	कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक– वित्त एवं लेखा
सदस्यता संख्या 094549	एम.न. FCS 5302	

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालयः- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंस्ट्रीटयूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर-302004 पर निम्न कार्यो के लिये होगीः-

1. 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करनाः-

 ''दिनांक 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 34,33,921 समता अंशो पर रू. 2,74,71,368/- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.: 08075740), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.: 08075740), ने निदेशक के पद से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.-11193880), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

4. श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन. - 09286327), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन.: 09286327), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्रीमती रिंकू शर्मा (डी.आई.एन.-11194044), जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

5. श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-**09684895**), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन..09684895), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA(4)(e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000/– (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

7. 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

''1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन किया जाता है।''

8. एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (**Apex Multi State Cooperative Society**) की शेयर पूंजी लेने (**Subscription**) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

''कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू होने वाले प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों द्वारा एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) के शेयरों में सामान्य संचय के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) का सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

कम्पनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को पृथक–पृथक रूप से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करने और दस्तोवजों को निष्पादन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

9. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों पर विचार कर अवलोकन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

''प्रस्ताव पारित जाता है कि पूर्व में पारित प्रस्ताव के स्थान पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के लागू प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) और कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा–निर्देशों पारित कर अनुमोदन किया जाता है जो नीचे दिये गये है अर्थात,

i. बोर्ड, 'कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक–सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु पायस दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड़ (''कम्पनी'') का बोर्ड एक ''नोमिनेशन कमेटी'', का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन महिनों के अन्दर करेगा।

ii. बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी A श्रेणी B या श्रेणी C वर्ग के अन्तर्गत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा की जायेगी। नोमिनेशन कमेटी द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना–पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर और या यदि कोई कम्पनी की वेबसाईट पर, यदि कोई हो, और/या कम्पनी में पंजीकृत ईमेल आईडी पर और/या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/अन्य मोड के माध्यम से दिखाया जायेगा या जिस श्रेणी की रिक्तता पैदा होगी उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।

iii. बोर्ड अंतर्नियमों के अनुसार, ऐसे योग्य सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रकिया तैयार करेगा जिसकी पालना 'नोमिनेशन कमेटी' द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

iv. ''नोमिनेशन कमेटी'' निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी के योग्यता अंक' पर विचार करेगीः

प्रार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षो के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगेः (95% या अधिक दिन -30 ; 85% to <95% दिन - 20 ; 75% to <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% ls <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व–घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (अर्थात अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नही की है)–	5
पिछले 5 वर्षो से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाये रखने के लिए प्रति वर्ष के लिए 6 अंक	30
प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता पुरूषों के लिए– 12वीं के लिए–5, स्नातकों के लिए – 10 और स्नातकोत्तरों के लिए – 15 महिला के लिए–10वीं के लिए–5, 12वीं के लिए–10, स्नातकों के लिए – 15	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक) वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक): एलडीपी/ बोर्ड निदेशको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)।	20
कुल	**100**

v. बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नोमिनेशन कमेटी' में निम्नलिखित शामिल होंगे–

i. सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक–सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्तें ऐसा उत्पादक–सदस्य निदेशक उस आगामी वार्षिक आम सभा से सेवा–निवृत होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक – उत्पादक निदेशक योग्य सिद्ध होता है, तो किसी भी अनुबंध के अंतर्गत और उसके अधीन, ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नोमिनेशन कमेटी सदस्य को चुना जायेगा। इसके अतिरिक्त, अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक–सदस्य निदेशक उपलब्ध नही है, तो कोई अन्य उत्पादक–सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या ड्रॉ ऑफ लोट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;

ii. कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक और

iii. किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नोमिनेशन कमेटी' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नोमिनेशन कमेटी की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

vi. 'नोमिनेशन कमेटी' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

vii. बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों के चुनने के लिए 'नोमिनेशन कमेटी' के द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावित करने हेतु, बोर्ड के निदेशकों को एतद्द्वारा ऐसे सभी कदम उठाने एवं कार्य करने, मुद्दों एवं वस्तुओं को संभालने, जैसा आवश्यक समझे निर्णय लेने का अधिकार एवं इस सम्बन्ध में उठे किन्ही मामलें, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./–
(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS 5302

स्थान : जयपुर
दिनांक : 31 जुलाई, 2025

नोट्सः–

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि **(Proxy)** नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (**Proxy Form**) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।

4. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकारः–
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2024–25), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 76837 सदस्य दर्शाये गये है, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(a) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, ''श्रेणी ए'' के 3370 सदस्य, ''श्रेणी बी'' के 6690 सदस्य और ''श्रेणी सी'' के 14889 सदस्य (कुल 24949 सदस्य) जिन्होने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तो के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तो को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 9 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होगें।

(नोट–कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (''श्रेणी ए'' अथवा ''श्रेणी बी'' अथवा ''श्रेणी सी'') के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।

(b) 7116 सदस्य जिन्होनें कम्पनी की आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होनें गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होनें अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होनें कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तो को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4 एवं 5) पर वोट नहीं कर सकते है परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7, 8 और 9 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते है।

(c) कुल 43907 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए,उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नही है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र है।

(d) कुल 865 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2025 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा मेंभाग लेने के पात्र नही है। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2024–2025 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होगें।

(e) दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 3490 नये सदस्य सम्मिलित किये गये है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लाभांश के पात्र नही होगें एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नही है।

(f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार 14वीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः–

(i) निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित।

(ii) दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न हुई 13वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

(iii) 31 मार्च, 2025 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ–हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।

(iv) वित्तीय वर्ष 2025–2026 का बजट ।

6. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

7. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

8. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई 13वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।

9. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 14वीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करे।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

12. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नही करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते है। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते है।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

15. बैठक की सूचना कम्पनी की वेसाइट www.paayasmilk.com पर उपलब्ध है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/पुन:नियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 5

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.-11193880)., जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है), श्रीमती रिंकू शर्मा (डी.आई.एन.-11194044), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है) और श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.-09684895), जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते है) को कम्पनी के निदेशक नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:–

	श्रीमती सुनिता कुमावत	श्रीमती रिंकू शर्मा	श्री हनुमान चौधरी
उम्र :	31	39	30
शैक्षिक योग्यता :	12वीं उत्तीर्ण	12वीं उत्तीर्ण	कला में स्नातक (बी.ए.)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन में 11 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 16 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 12 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति के नियम व शर्ते :	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति :	14वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	14वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	19.09.2022
गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया की संख्या :	–	–	5
धारित अंशों की संख्या :	188	190	53
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	संबंधित नही	संबंधित नही	संबंधित नही
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	एक

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./–
(अनूप गुप्ता) कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या–FCS 5302

स्थान : जयपुर
दिनांक : 31 जुलाई., 2025

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना–पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2025 में दी गई मद संख्या 8 और 9 से संबंधित)

मद संख्या 8

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के माध्यम से, दूध उत्पादक संगठनों के लिए एक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Apex Multi State Cooperative Society) प्रमोट की गई अथवा भविष्य में प्रमोट किये जाने के लिए, सहायता प्रदान कर रहा है। उक्त एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी। सोसाइटी का उद्देश्य दूध उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके और सरकारी निकायों के साथ सहयोग और सहकारी सिद्धान्तों के पालन के माध्यम से दूध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूंकि, पायस एमपीओ के उद्देश्य और गतिविधियां, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धान्तों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन बढाने और भारत में डेयरी वेल्यू चैन को मजबूत करना है जोकि इस एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि पायस एमपीओ सदस्यता लेने हेतु अपने अधिकतम सामान्य संचय के 30 प्रतिशत सीमा तक एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर अभिदान कर सकता है और एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड की गई एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बने।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 9

यह अनुभव किया गया है कि उत्पादक निदेशक पद के लिए उपयुक्त प्रत्यार्शी को चुनने हेतु वर्तमान मापदंड प्रत्यार्शी की योग्यता अंको के आंकलन क्षेत्र को सीमित करते है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि योग्यता अंक मापदंडों को संभावित आवेदकों की योग्यता मापदंडों के साथ उचित रूप से संरेखित (Align) करने के लिए नामांकन समिति के गठन से संबंधित दिशा–निर्देशों में संशोधित किया जाये।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./–
(अनूप गुप्ता) कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या–FCS 5302

स्थान : जयपुर
दिनांक : 31 जुलाई., 2025

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर–302027 राजस्थान में सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को दोपहरः 12.15 **बजे को जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:–**

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	श्रीमती ममता चौधरी	–	अध्यक्षा, अध्यक्षा (हितधारक संबंधित समिति) एवं अंशधारक
2.	श्री नारायण लाल गुर्जर	–	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री लादू लाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती सुनिता शर्मा	–	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री विजय सिंह मीणा	–	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री भागचन्द	–	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती चन्दा यादव	–	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया	–	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री हनुमान चौधरी	–	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री अनिता चौधरी	–	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री मुकेश कुमार गढवाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
12.	डॉ मनवीर सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
13.	श्री अनूप गुप्ता	–	कम्पनी सचिव

(a) श्रीमती ममता चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।

(b) तत्पश्चात, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 30314 अंश वाले 203 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 28383 अंश वाले 1826554 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात कोरम पूरा होने की घोषणा की।

(c) अध्यक्षा महोदय ने 13वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

(d) अध्यक्षा ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि श्री राजेश गुप्ता, श्री सौगत मित्रा, डॉ. रघु हासन मल्लेगौड़ा, विशेषज्ञ निदेशक बैठक में उपस्थित नही हो सके। अध्यक्षा ने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा अंकेक्षकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और कम्पनी से अनुपस्थिति की अनुमति की इच्छा व्यक्त की।

(e) कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से 13वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

(f) अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।

(g) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।

1. 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करनाः–

1.1 श्री बनवारी लाल (फोलियो संख्याः 23047) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 1/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''दिनांक 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

''श्री शिवराज जाट (फोलियो संख्याः 53953) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–**

2.1 श्री राजाराम गुर्जर (फोलियो संख्याः 162816) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–
प्रस्ताव संख्या 2/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभो में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 3822279 समता अंशो पर रू. 3,05,78,232/– वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री रतना राम (फोलियो संख्याः 172805) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन. – 09286071), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

3.1 श्रीमती कुंदन कंवर (फोलियो संख्याः 97920) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–
प्रस्ताव संख्या 3/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024
''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन. – 09286071), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''
श्रीमती गोरान (फोलियो संख्याः 67267) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

4.1 श्रीमती ममता चौधरी, कम्पनी की अध्यक्ष का इस प्रस्ताव मे व्यक्तिगत हित होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और उपस्थित सदस्यों की अनुमति से, श्री नारायण लाल गुर्जर, निदेशक ने इस कार्यसूची के लिए अध्यक्षता की।

4.2 श्रीमती बबली जाट (फोलियो संख्याः 233841) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 4/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन..08842062), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''
श्रीमती रिंकू (फोलियो संख्याः 55248) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
श्री नारायण लाल गुर्जर ने सदस्यो को धन्यवाद दिया और श्रीमती ममता चौधरी द्वारा पुनः अध्यक्षता के लिए श्री नारायण लाल गुर्जर ने अध्यक्षता छोड़ दी। तत्पश्चात श्री ममता चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की।

5. श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

5.1 श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ (फोलियो संख्याः 103687) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 5/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्री गौतम कुमार शर्मा (फोलियो संख्याः 170616) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

6.1 श्री नंद किशोर (फोलियो संख्याः 129203) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 6/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA (4) (e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या –012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।''

श्री सत्यनारायण (फोलियो संख्याः 196740) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए** कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

7.1 श्री मनोहर (फोलियो संख्याः 169506) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 7/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्रीमती राजू देवी (फोलियो संख्याः 86781) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कम्पनी की पाँचवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 09/2016–17 में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

8.1 श्री रज्जाक (फोलियो संख्याः 91948) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 8/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 5वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 09/2016–2017 दिनांक 19.09.2016 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.4 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA (पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अनुरूप) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों,सहमतियों, अनुमतियो, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, निदेशक मंडल को कम्पनी द्वारा सममूल्य पर अंशों को जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है और तद्नुसार प्रीमियम मूल्य पर अंशों के निर्गमन को, ऐसे नियमों और शर्तों तथा समय पर समाप्त करने, जैसाकि बोर्ड निर्धारित करता है और कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय और जारी किये गये अंशों का सदस्यों से समर्पण स्वीकार, सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य मूल्य पर करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव अंशधारकों की बैठकों में पूर्व पारित किसी भी प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, पूर्व प्रस्तावों पर प्रभावी रहेगा।

इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, बोर्ड को प्रीमियम सहित अंशों के निर्गमन तथा आंवटन करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलो में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड़, मामलों और वस्तुएं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि बोर्ड उचित समझता है, के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

बोर्ड को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों की समिति या कम्पनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजन (Delegate) करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।"

श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा (फोलियो संख्याः 244456) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कम्पनी की दसवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2021–22 के संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

9.1 श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्याः 102320) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 9/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 10वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11/2021–2022 दिनांक 27.10.2021 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं और अन्य कार्यो के लिए कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन के लिए आवश्यक होगा और कम्पनी के बोर्ड को एक दिनांक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिसके पश्चात अंशों के क्रय या समर्पण का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सममूल्य या अंश प्रीमियम मूल्य के साथ, कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम सहित लागू अधिनियमों के अधीन स्वीकार किया जायेगा, जैसाकि नीचे दिया गया हैः

1. सदस्य, जिन्होनें सममूल्य पर अंश क्रय किये है तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंड़ों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. सदस्य, जिन्होनें सममूल्य पर अंश क्रय किये है तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंड़ों को पूरा नहीं किया है, वह अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।
3. सदस्य, जिन्होनें आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर प्राप्त किये है तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंड़ों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
4. सदस्य, जिन्होनें आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर पर प्राप्त किये है तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंड़ों को पूरा नहीं किया है, वह क्रय या समर्पण के समय सममूल्य वाले अंशों के लिए सममूल्य प्राप्त करने तथा प्रीमियम के साथ लिये गये अंशों के सममूल्य के साथ अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
5. सदस्य, जिन्होनें अंश प्रीमियम मूल्य के साथ प्राप्त किये है उनके द्वारा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंड़ों को ध्यान में न रखते हुये क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
6. सदस्य जो बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात, सममूल्य पर कम्पनी के अंश क्रय करेगें वे अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।

बोर्ड को योग्य मामलों में निर्दिष्ट मापदंडों/शर्तो/परिस्थितियों के आधार पर अंश प्रीमियम वापिस करने के लिए उपरोक्त शर्तों को संशोधित/माफ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

सदस्यों को वापिस किये जाने वाले अंश प्रीमियम राशि को मूल्यांकन की उपयुक्त पद्धति के आधार पर तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर तय की गई नियमों व शर्तों पर निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव, अंशधारकों द्वारा सदस्यों की बैठकों में पारित किसी भी पूर्व प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, उक्त पूर्ववर्ती प्रस्तावों पर प्रभावी होगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलो में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड़, मामलों और वस्तओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमती ममता देवी (फोलियो संख्याः 136769) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (**Secondment Arrangement**) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

10.1 श्री शोभाराम (फोलियो संख्याः 117162) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 10/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (Secondment Arrangement)/अनुबंध करने और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के पुष्टिकरण के लिए सदस्यों का अनुमोदन और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध करने और/या जारी रखने के लिए प्रदान किया जाता है

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा इस व्यवस्था/अनुबंध को समाप्त करने के लिए आम सभा में सदस्यों की पूर्व सहमति की आश्यकता होगी।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

श्री बंशी लाल शर्मा (फोलियो संख्याः 2800) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("**NDS**") को दूध की आपूर्ति पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

11.1 श्रीमती आशा शर्मा (फोलियो संख्याः 231739) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कियाः–

प्रस्ताव संख्या 11/2024–2025–13वीं वार्षिक आम सभा/23.09.2024

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध के लिए दिनांक 05 अप्रैल 2024 को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ किये गये आपूर्ति अनुबंध का अनुमोदन किया था जिसमें किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सम्मिलित है।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

श्री रितेश कुमार (फोलियो संख्याः 194982) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अध्यक्षा ने आम सभा का समापन किया और उपस्थित सभी अंशधारकों को ध्यानपूर्वक सुनने, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया। आम सभा दोपहरः 01.00 बजे सम्पन्न हुई।

दिनांक : 25 सितम्बर, 2024

अध्यक्षा

स्थानः जयपुर

दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./–

कम्पनी सचिव द्वारा आद्याक्षर

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2025–2026 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	**631,499**
व्यापार (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद)	रूपये लाखों में	**128,530**
पशु आहार एवं एआई से योगदान	रूपये लाखों में	**408**
अन्य आय	रूपये लाखों में	**787**
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	**114,079**
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	**15,527**
कुल व्यय	रूपये लाखों में	**129,606**
कर से पूर्व लाभ (अ–ब)	**रूपये लाखों में**	**119**
	% विक्रय पर :	**0.09%**

पूंजीगत बजट 2025-2026

विवरण		राशि
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	1441
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	25
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	269
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	164
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	11
कुल	**रूपये लाखों में**	**1,911**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

सदस्य क्रोड

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंस्ट्रीटयूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर–302004 पर होने वाली 14वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू नही होता है, उसे काट दें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11
प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम : ....

पंजीकृत पता : ....

ईमेल आईडी : ....

फोलियो संख्या : | | | | | | |

मैं/हम .... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशों का सदस्य होते हुये एतद्द्वारा

(1) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः ....

को कम्पनी की शनिवार, 30 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे एआईसीटीई इंडोवेशन सेंटर, अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, इंस्ट्रीटयूशनल एरिया, महात्मा गांधी रोड़, जयपुर– 302004 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 14वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
2.	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) रूपये 8 प्रति अंश पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन. – 08075740), जो बोर्ड में "श्रेणी ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर श्रीमती सुनिता कुमावत (डी.आई.एन.: 11193880), निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।			
4.	श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन. – 09286327), जो बोर्ड में "श्रेणी बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर श्रीमती रिंकू शर्मा (डी.आई.एन.: 11194044),निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।			
5.	श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.– 09684895), जो बोर्ड में "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है।			
6.	कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।			
7.	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
8.	एनडीडीबी द्वारा प्रमोटेड एपेक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (**Apex Multi State Cooperative Society**) की शेयर पूंजी लेने (**Subscription**) पर विचार कर विशेष प्रस्ताव पारित करना।			
9.	बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों पर विचार कर सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			

दिनांक ....2025 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-
रेवेन्यू टिकिट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)　　　(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

14वीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–4202108
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., New Delhi)